उत्तराखण्ड शासन

आउटकम बजट
OUTCOME BUDGET

2026-27

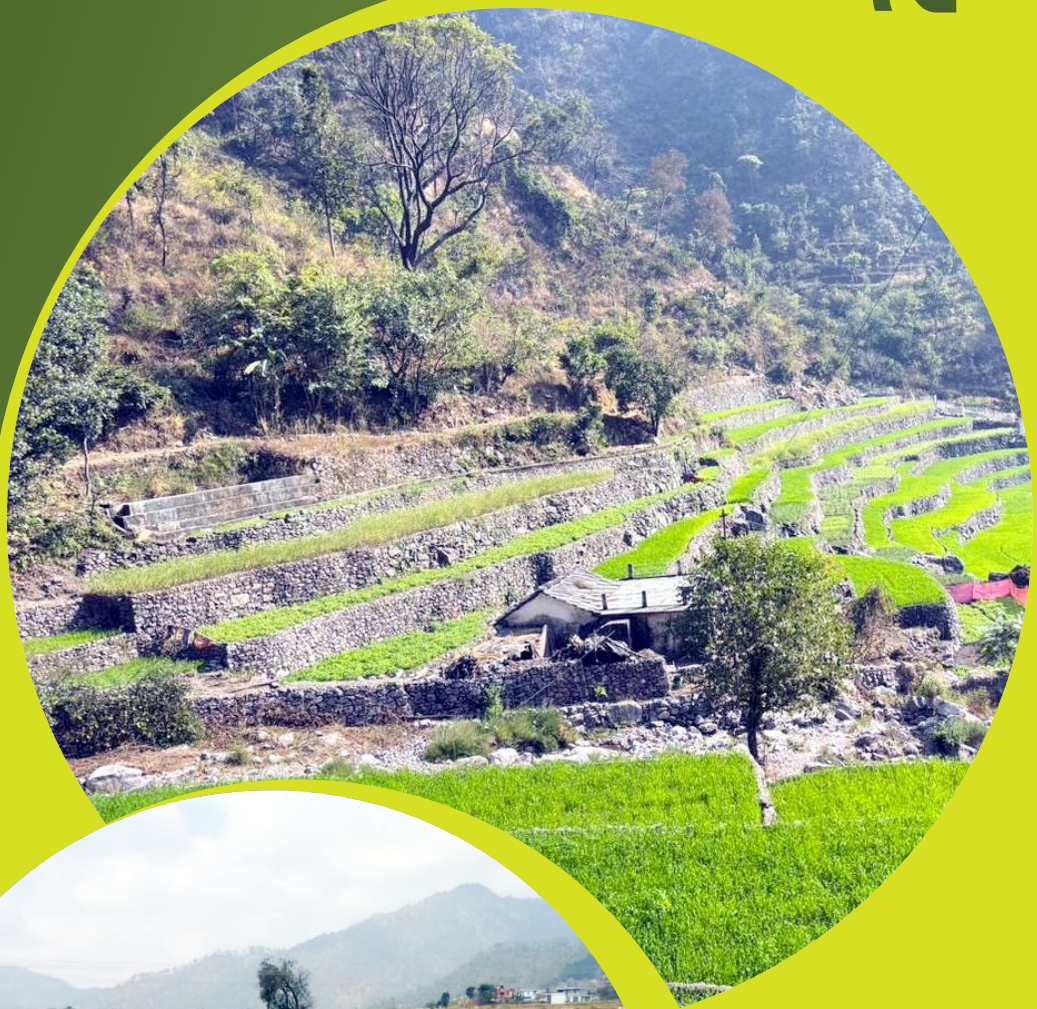

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

आउटकम बजट
OUTCOME BUDGET

2026-27

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य	4
2.	विभागीय कार्यक्रमों का कार्य–दायित्व	5
3.	कृषि विभाग का संगठनात्मक ढाँचा (स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण)	6–8
4.	संचालित योजनायें 2026–27	9–16
5.	बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय विवरण वर्ष 2025–26	17–21
6.	आउटकम बजट वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27	22–50
7.	सतत् विकास लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति	51
8.	सुधारात्मक कार्य एवं नीतिगत पहल वर्ष 2025–26	52–55
9.	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट प्राविधान तथा प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण	56–60

उद्देश्य

उत्पादक क्षेत्रों की सतत् उत्पादकता बनाये रखते हुये कम उत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास करना। उन्नत प्रजाति के बीजों, उन्नत यंत्रों, कृषि निवेशों एवं उत्पादक स्रोतों की उचित व्यवस्था। दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं नवीनतम कृषि तकनीकियों का प्रचार–प्रसार। मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन, क्लस्टर आधारित कृषि के प्रोत्साहन तथा जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। टिकाऊ कृषि प्रणालियां अपनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने वाली लचीली कृषि क्रियाओं के पारस्परिक तन्त्र को बनाये रखना। नमी संरक्षण, भूमि एवं जल संरक्षण के उपाय करना। प्रेसिसियन सिंचाई एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि करना। कृषि विविधीकरण एवं मूल्य संवर्द्धन से रोजगार के अवसर पैदा करना। जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं में अनुकूलन क्षमता को मजबूत करने वाली कृषि पद्धतियां अपनाना। आपदाओं तथा अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की समय से क्षति–पूर्ति कराना। विभिन्न केन्द्रपोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं में आय परख कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये, उत्पादन के लाभकारी विपणन से कृषकों की आय में वृद्धि के उपाय करना।

विभागीय कार्यक्रमों का कार्य–दायित्व

- उन्नत बीजों तथा नवीनतम कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करना।
- न्याय–पंचायत स्तरीय कृषि निवेश केन्द्रों पर खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों की बुवाई से पूर्व निवेशों की आवश्यक मात्रा में पूर्ति करना, ताकि कृषकों को उनके नजदीकी केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश यथा–बीज, कीट–रोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक आदि समय से उपलब्ध हो सकें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुति के अनुसार संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- प्रदर्शन, प्रशिक्षण, गोष्ठीयों एवं अध्ययन भ्रमण के माध्यम से कृषकोपयोगी कल्याणकारी योजनाओं, नवनीतम कृषि पद्धतियों एवं तकनीकों का कृषकों एवं कृषक प्रक्षेत्रों तक व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- लघु एवं सीमान्त जोतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विविधीकरण, मूल्य संवर्द्धन तथा केन्द्र एवं राज्य–पोषित योजनाओं में आयपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित से कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत पौष्टिक अनाजों एवं प्रदेश की विशिष्ट फसलों का पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण।
- लघु, सीमांत, महिला कृषक एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कम मूल्य पर यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करना।
- जल संचय संरचनाओं का निर्माण, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन को रोकना, जल के समुचित प्रयोग हेतु प्रेसिशियन सिंचाई पद्धतियों एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि करना।
- अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ना। किसान सम्मान नीधि योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना ताकि उन्हें खेती हेतु सुगमता से अनुदानित ब्याज पर ऋण प्राप्त हो सके।
- अतिवृष्टि, भूस्खलन आदि से कृषि भूमि के क्षरण को बचाने हेतु मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना।
- कृषकों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश–1957, कीटनाशी अधिनियम–1968 एवं बीज अधिनियम–1966 के अंतर्गत समय–समय पर उर्वरकों, रसायनों एवं बीजों के नमूनों का प्रयोगशालाओं में प्रमाणिक परीक्षण कराना।
- राज्य में कृषि फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन करना।
- कृषि में उच्च तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचना एवं संचार तंत्र का प्रयोग।
- केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं का सही क्रियान्वयन करते हुये धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित करना। कृषि से जुड़े रेखीय विभागों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, शोध संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कृषि विकास को गति देना।
- मिलेट फसलों को राज्य मिलेट मिशन कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय फसलों का संरक्षण, सत्यापित बीजों का वितरण तथा भौगोलिक पहचान प्रदान करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की स्थिति का विवरण

मार्च, 2026 तक

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / वेतनबैण्ड	वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	37400–67000–10000	15	1	0	1	–
2	अपर कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	37400–67000–8700	13	2	0	2	–
3	लेखा एवं वित्त नियंत्रक (श्रेणी–1)	37400–67000–8700		1	1	0	–
4	संयुक्त कृषि निदेशक (श्रेणी–1)	15600–39100–7600	12	5	3	2	02 पद पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
5	उप कृषि निदेशक / मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी–1)	15600–39100–6600	11	18	15	3	02 पद के सापेक्ष पात्र अधिकारी उपलब्ध नही है। 01 पद दिनांक 02.02.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से रिक्त।
6	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी–2)	15600–39100–5400	10	68	54	14	1. सीधी भर्ती के पूर्व अधियाचन के सापेक्ष 01 कार्मिक द्वारा योगदान नही किया गया। शेष रिक्त 09 पदों का अधियाचन पत्रांक–9142 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रषित किया गया है। 2. पदोन्नति कोटे के 03 पदों के सापेक्ष 01 पद पर योगदान नही किया गया है। 02 पदों पर पदोन्नति कार्यवाही प्रचलित है।
7	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100–5400	10	1	2	-1	शासन के पत्रांक संख्या– 307919 दिनांक– 20.06.2025 के द्वारा संशेधित स्टाफिंग पैटर्न में 01 पद कम किया गया।
8	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100–5400		16	16	0	–
9	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800–4800	8	3	2	1	–
10	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4800		22	21	1	दिनांक 18.12.2025 मं पदोन्नति के कारण रिक्त
11	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4800		2	2	0	–
12	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4600	7	3	3	0	–
13	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600		22	22	0	–
14	अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–1	9300–34800–4600		29	26	3	02 कार्मिकों की पदोन्नति की जा चुकी है। योगदान सूचना अप्राप्त है।
15	प्राविधिक सहायक	9300–34800–4600		3	0	3	निदेशालय के पत्रांक–2545 दिंनाक 1.09.21 के द्वारा अधियाचन अधिनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग द्वारा परीक्षा कैलेण्डर जारी किया गया है।
16	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	9300–34800–4600	7	233	144	89	1. निदेशालय के पत्रांक–3506 दिनांक–25.09.2024 द्वारा रसायन शाखा (सीधी भर्ती) के रिक्त 07 पदों हेतु अधियाचन अधिनस्थ चयन सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। 2. रसायन शाखा में सेवानिवृत्ति के कारण 13 पद रिक्त है, सेवानियमावली के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण न करने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नही है।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / वेतनबैण्ड	वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
							3. 61 पद से0नि0 के कारण रिक्त है सेवानियमावली के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण न करने के कारण उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण की कार्यवाही गतिमान है।
17	कनिष्ठ अभियन्ता	9300–34800–4600	6	54	42	12	निदेशालय के पत्रांक 6448 दिनांक 09.12.2025 क द्वारा रिक्त 12 पदों पर अधियाचन शासन की सेवा में प्रेषित किया गया है। आउटर्सोस के माध्यम से नितांत अस्थाई व्यवस्था पर 04 कार्मिक कार्यरत है।
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग–2	9300–34800–4200		44	13	31	निदेशालय के पत्रांक 3505 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा रिक्त 38 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया गया है। जिसमें कुल 12 चयनित अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 02 अभियार्थियों की योगदान सूचना अप्राप्त है।
19	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800–4200	6	9	6	3	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नही है।
20	लेखाकार	9300–34800–4200	5	20	14	6	पदोन्नति निदेशक विभागीय लेखा उत्तराखण्ड से की जानी है। पदों की सूचना पत्रांक 1703 दिनांक 01.07.2024 द्वारा भेजी गयी है।
21	वरिष्ठ मानचित्रक	9300–34800–4200		4	4	0	–
22	मानचित्रक	9300–34800–4200		26	1	25	आयोग द्वारा चयन की संस्तुति कर 17 अभ्यार्थियों के चयन सूची प्रषित की गयी है। जिस पर आयोग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में संशोधित सूची प्रेषित की जानी प्रस्तावित है।रिक्त पदों में 05 पद अनुरेखक के पदोन्नति हेतु आरक्षित है। शेष 02 पद कार्मिक सेवानिवृत्त होने से रिक्त है।
23	प्रधान सहायक	9300–34800–4200		49	45	4	पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
24	वैयक्तिक सहायक	5200–20200–2800	5	12	2	10	निदेशालय के पत्रांक 6529 दिनांक16.12.2015 के द्वारा 06 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। जिसमें से 02 कार्मिकों द्वारा योगदान किया जा चुका है। 04 पद उच्च न्यायालय के अधीन है रिक्त 05 पदों पर अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्रांक 2250 दिनांक 17.08.2021 को प्रेषित किया गया है। 01 पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त। आउटर्सोस के माध्यम से नितांत अस्थाई व्यवस्था पर 04 कार्मिक कार्यरत है।
25	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	5200–20200–2800		404	139	265	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद है। कार्मिकों की पदोन्नति / सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हुये है। पोषक संवर्ग में पदोन्नति हेतु कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में 13 कार्मिकों को शिथिलीकरण का लाभ दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / वेतनबैण्ड	वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
26	राजस्व निरीक्षक	5200–20200–2800		13	13	0	–
27	संगणक / डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200–2800		4	1	3	नियमावली संशोधन हेतु शासन स्तर पर है। आउटर्सोस के माध्यम से नितांत अस्थाई व्यवस्था पर 01 कार्मिक कार्यरत है।
28	सहायक लेखाकार	5200–20200–2800		69	65	4	–
29	वरिष्ठ सहायक	5200–20200–2800		77	75	2	पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है।
30	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	5200–20200–2400	4	483	400	83	निदेशालय के पत्रांक कृ.नि0–3593 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा स0कृ0अ0वर्ग–3 के रिक्त 82 पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया है।
31	वरिष्ठ कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–2000		1	0	1	कृषि रक्षा यांत्रिक से पदोन्नति की जाती है। कृषि रक्षा यांत्रिक का पद मृत कैडर है।
32	कनिष्ठ सहायक	5200–20200–2000	3	88	77	11	रिक्त 02 पद (ST) का अधियाचन आयोग को भेजा गया है। 09 पद चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति हेतु आरक्षित है। मृतक आश्रित अधिसंख्यक के रूप में 20 कार्मिक कार्यरत है।
33	कृषि रक्षा यांत्रिक	5200–20200–1900		22	0	22	कृषि रक्षा यांत्रिक का पद मृत कैडर है।
34	अनुरेखक	5200–20200–1900	2	37	2	35	उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 के पत्र संख्या–763 दिनांक 20 नवम्बर 2008 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 2369 दिंनाक 24. 08.2021 के द्वारा अनुरेखक संर्वग के पदों को मृत घोषित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
35	वाहन चालक	5200–20200–1900		64	10	54	निदेशालय के पत्रांक–4358 दिनांक 23.08. 2025 के द्वारा शासन से वाहन चालक की भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश चाहे गये है। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नितांत अस्थाई व्यवस्था पर 22 कार्मिक कार्यरत है।
36	चतुर्थ श्रेणी	5200–20200–1800	1	580	134	446	मृत कैडर है तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नितांत अस्थाई व्यवस्था पर रिक्त पदों पर 184 कार्मिक रखे गये हैं।
योग				**2489**	**1354**	**1135**	

* मृत कैडर

संचालित योजनायें- वर्ष 2026-27

1–केन्द्रपोषित योजनायें:–

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
1	प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना– (PM-Kisan) **(100%** केन्द्रपोषित**)**	किसानों को कृषि निवेश एवं अन्य जरूरतों एवं ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिये जो उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाये तथा खेती के कार्य–कलापों में निरन्तरता बनाये रखेने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत रू० 2000.00 प्रति किस्त की दर से 3 किस्तों में रू0 6000.00 प्रति वर्ष सीधे किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाता है। **आउटकम–** कृषि कार्यकलापों की निरन्तरता बनाये रखना।	किसानों के खाते में सीधे धनराशि भारत सरकार द्वारा भेजी जाती है।
2	प्रधानमन्त्री किसान मानधन योजना (PMKMY)	योजना में 18 से 40 वर्ष आयु तक के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की गयी है। लघु एवं सीमान्त किसान पति–पत्नी अलग–अलग अपनाने के लिये पात्र होंगे। उक्त आयु सीमा के कृषकों को 60 वर्ष की आय पूरी होने तक रू0 55 .00 से रू0 200 .00 प्रतिमाह अंशदान करना होता है। इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद कृषक को रू0 3000 .00 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। **आउटकम –** लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा।	50% अंशदान भारत सरकार द्वारा
3	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– अन्तर्गत–		
I	डी0पी0आर0 **(RKVY-DPR)** (90 **%** केन्द्रांश एवं 10**%** राज्यांश)	कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा विकास मद की चालू योजनाओं के लिये बजट की कमी को पूरा करना। योजना में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभाग कृषि, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं शोध, लघु सिंचाई, रेशम विकास, दुग्ध विकास, मण्डी, मत्स्य विकास, गन्ना, टी०डी०सी०, जैविक उत्पाद परिषद, कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों आदि की कृषि संवर्गीय परियोजनाओं पर राज्य स्वीकृति समिति के अनुमोदन के अनुसार कार्य संपादित किये जाते हैं। **आउटकम–** कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
II	**Rainfed Area Development (RAD)** (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से समेकित कृषि प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित होकर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत समेकित कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन, पॉली हाउस, वर्मी कम्पोस्ट एवं साईलेज इकाईयों का निर्माण तथा भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य करने का प्राविधान है। **आउटकम–** स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणालियों के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलती जलवायु परिवेश के अनुकूल बनाना।	बजट के माध्यम से
III	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता **(SH & F)** (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजनान्तर्गत मृदा नमूनों का एकत्रण, विश्लेषण एवं निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाता है तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गयी संस्तुति के आधार पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जा रहे हैं। कृषकों को मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं स्थापना एवं उनका सुदृढ़ीकरण करते हुये उनमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा सृजन भी किया जाता है। **आउटकम–** मृदा परीक्षण से पौधों के लिये मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा ज्ञात करना तथा मृदा परीक्षण संस्तुति के अनुसार पोषक तत्वों का प्रयोग।	बजट के माध्यम से
IV	परम्परागत कृषि विकास योजना **(PKVY)** एवं नमामि गंगे क्लीन अभियान - NGCA (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में क्लस्टर ऐप्रोच के आधार पर पार्टिसिपेट्री गारन्टी सिस्टम (पी0जी0एस0) प्रमाणीकरण के माध्यम से जैविक कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। योजना में परम्परागत एवं नवीनतम तकनीकी का समावेश कर उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना के अन्तर्गत परम्परागत फसलों, दालों, सब्जियों, रेशम उत्पादन, सगन्ध पौध के कलस्टर चयनित किये गये हैं। सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किये जा रहा है। योजना में कलस्टर गठन, प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान एवं विपणन आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **आउटकम–**जैविक कृषि क्षेत्रफल एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
V	राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं नैशनल बैम्बू मिशन	वर्तमान में यह योजना बांस एवं रेशा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।	बजट के माध्यम से
VI	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एवं एन.एम.इ.ओ. व आत्मनिर्भरता दलहन (FNS, NMEO & Atmanirbharta in Pulses)– (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	चयनित जनपदों में धान, गेहूं, मोटे अनाज, आत्मनिर्भरता– दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाना। इस हेतु फसल प्रदर्शनों का आयोजन, अनुदानित मूल्य पर उन्नत बीजों का वितरण, पौध एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों, जैव उर्वरकों, का वितरण किया जाता है। समेकित कीट प्रबंधन, एवं प्रशिक्षण का आयोजन। कृषि एवं सिंचाई यंत्रों के वितरण पर किसानों को राज सहायता दी जाती है। बीज उत्पादन एवं जल सम्भरण हेतु सामुदायिक टैंक निर्माण आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। **आउटकम–** चयनित जनपदों में धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन की उत्पादकता बढ़ाना।	बजट के माध्यम से
VII	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन **(SMAM)** (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	कृषि में श्रम एवं लागत में कमी लाने तथा कृषि के आधुनिकीकरण द्वारा शस्य क्रियाओं को समय पर सम्पादित करने, के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण उप मिशन लागू किया गया है। कृषक समूहों को कस्टम हायरिंग तथा फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराते हुये लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों की पहुँच बढ़ाना । योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों के द्वारा प्रचार एवं सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं प्रबंधन के लिये प्रदर्शन, प्रशिक्षण, कृषि यंत्रों, मशीनों, उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। **आउटकम–**अधिक से अधिक कृषकों त क उन्नत तकनीकी कृषि यंत्रों की पहुँच।	बजट के माध्यम से
VIII	''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर उपलब्ध जल को संचित कर उसका समुचित उपयोग करना। जल बचत तकनीकों को अपनाते हुये सिंचन क्षमता में वृद्धि करना। ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' के अन्तर्गत जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, जल संवहन यंत्र की आपूर्ति, ट्यूबवैल की स्थापना एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिये सहायता दी जाती है। **आउटकम–** जल का अपव्यय रोकना, जल संचय , प्रेसिशियन सिंचाई एवं अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाकर सिंचन क्षमता में वृद्धि।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
IX	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	कृषकों को एक एकड़ क्षेत्रफल में बीजोत्पादन हेतु 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर धान्य फसलों, दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज वितरण किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादित बीजों के सुरक्षित भण्डारण हेतु बुखारी वितरण का प्राविधान भी है। **आउटकम–** उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादित कर बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि।	बजट के माध्यम से
X	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)– सपोर्ट टू स्टेट एक्स्टेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मर्स– आतमा योजना (90% केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	योजना के अन्तर्गत कृषकों को समस्त उन्नत कृषि पद्धतियों एवं संवर्गीय कार्यक्रमों की तकनीकों के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसके लिये विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन भ्रमण एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद आदि कार्यक्रम सम्पादित कराये जाते हैं। **आउटकम–** कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों की नवीनतम तकनीकियों का कृषक/कृषक प्रक्षेत्रों तक प्रचार–प्रसार।	बजट के माध्यम से
XI	नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग (Natural Farming)	प्राकृतिक खेती का उददेश्य उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है। **आउटकम–** प्राकृतिक खेती अपनाकर उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना तथा शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना	बजट के माध्यम से
XII	डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन	भारत सरकार के डिज़िटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital public Infrastructure) के अन्तर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिज़ीटल एग्रीकल्चर मिशन की गाईडलाईन माह अक्टूबर, 2024 के द्वारा जारी की गयी है। इसके अन्तर्गत पूर्व संचालित NeGP-A योजना, एग्रीस्टैक योजना के कम्पोनेंट (Geo-referenced village maps, Farmers Registry & Crop Sown Regisities), विस्तृत मृदा सर्वेक्षण एवं मानचित्रण एवं डिजीटल जनरल क्राप इस्टिमेशन सर्वे को एकीकृत करते हुए संचालित की जा रही है। आउटकम– प्रदेश के समस्त किसानो को सरकारी योजना को सीधे जोड़ने एवं उनकी पहचान को डिजिटल रूप देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की शुरूवात की है। फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा डाटाबेस है, जिसमें किसान पंजीकरण कराकर अपनी डिजिटल पहचान प्राप्त कर सकते है। पंजीकरण के बाद किसानों को एक युनिक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिसे फार्मर– ID या किसान– ID कहा जायेगा।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
4.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– (PMFBY) प्रीमियम पर (90 % केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा एवं कीट रोग से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में कृषकों को खरीफ में धान एवं मंडुवा तथा रबी में गेहूँ एवं मसूर (जनपद–पौड़ी एवं पिथौरागढ़) की फसल पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। योजना भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों के सहयोग से संचालित की जाती है। फसल धान एवं मंडुवा पर प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, गेहूँ एवं मसूर पर 1.5 प्रतिशत तथा नकदी फसलों पर 5 प्रतिशत है। बीमा हेतु संसूचित इकाई, ग्राम पंचायत किया गया है। **आउटकम–** किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।	बजट के माध्यम से केवल राज्यांश की व्यवस्था
5.	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना		
1	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना (टी.आर.एस.) (100 % केन्द्रपोषित)	कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुमान एवं फसल कटने से पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान तैयार किये जाते हैं। **आउटकम–** मुख्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अग्रिम अनुमान।	बजट के माध्यम से
2	फसल सांख्यिकी सुधार योजना (आई.सी.एस) (100 % केन्द्रपोषित)	कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। क्षेत्रफल परिगणना की प्रतिदर्श जांच (पड़ताल जांच), खसरा रजिस्टर पृष्ठ योगों की प्रतिदर्श जांच तथा फसल धान, मण्डुआ, गेहूं पर क्रॉप–कटिंग प्रयोगों की प्रतिदर्श जांच का कार्य किया जाता है। **आउटकम–** मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन के आंकड़ों में सुधार।	बजट के माध्यम से
3	कृषि अवसंरचना निधि (AIF)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा की व्यवस्था है। इससे फसलोपरान्त उपज क्षति को रोका जा सकेगा किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिये विपणन अवसंरचना में सुधार होगा एवं किसान की लाभ में सुधार। सभी प्रकार के ऋण पर 2 करोड़ रू0 तक की सीमा के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन दिये जाने का प्राविधान है। ब्याज सब वेंशन अधिकतम 7 वर्षों के लिये उपलब्ध होगा। 2 करोड़ रू0 से अधिक ऋण की दशा में ब्याज सबवेंशन 2 करोड़ रू0 तक के ऋण तक सीमित होगा। **आउटकम–** फसलोत्पादन के उपरान्त होने वाले पोस्ट–हार्वेस्ट लॉसेज को रोकना तथा विपणन एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुये किसानों को लाभ पहुंचाना।	ऋण–वित्त सुविधा

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
4	किसान उत्पादक समूह (FPO)	किसान उत्पादक संगठनों का गठन कर कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास। ग्रामीण समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना। उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान कराना। किसान उत्पादक संगठनों का क्षमता विकास करते हुये निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। कृषि उत्पादक संगठन कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्पादन एवं विपणन में लाभ लेने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि कम्पनी अधिनियम के भाग IX-A या राज्य कोपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत होगा। **आउटकम–** कृषि लागत में कमी, प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि, विपणन हेतु बाजारों से जुड़कर अच्छी आय प्राप्त करना।	–
5	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	फसलों की बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल अनुमान एवं फसल कटने से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार किया जाना है। **आउटकम–** फसलों का बुवाई के उपरान्त तथा फसल कटने से पूर्व उत्पादन का अग्रिम अनुमान तैयार करना।	बजट के माध्यम से

2 राज्यपोषित योजनायें–

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग प्रयोगों पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था।	बजट के माध्यम से
2	कृषि निवेश भण्डारों, बीज प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	670 न्याय–पंचायतों पर कृषि निवेश केन्द्रों का किराया व कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य।	बजट के माध्यम से
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियंत्रण, 02 कीटनाशी गुण नियंत्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स, उपकरण एवं रख–रखाव की व्यवस्था।	बजट के माध्यम से
4	जल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, पॉली हाउस विविधीकरण	कृषकों को कृषि यंत्रों पर केन्द्रीय योजनाओं से देय अनुदान के अतिरिक्त समतुल्य अनु दान 30 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
5	राज्य किसान आयोग	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि के मानदेय, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि हेतु बजट की व्यवस्था। आयोग का कार्य कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव देना।	बजट के माध्यम से
7	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के प्रमाणित बीजों का उत्पादन।	बजट के माध्यम से
8	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद् परिषद का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन के लिये नियमित कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से सेवायोजित कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि।	बजट के माध्यम से
9	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव।	बजट के माध्यम से
10	खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	कृषकों को गुणवत्तायुक्त प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का आपूर्ति।	बजट के माध्यम से
11	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की लागत	कीटनाशी, फफूंदनाशी, तृणनाशी, मूषकनाशी एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति।	बजट के माध्यम से
12	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	राज्य स्तरीय कृषि निदेशालय भवन, मण्डलीय कार्यालय भवनों एवं विकासखण्ड स्तर पर स्थित कृषि निवेश भण्डारों का निर्माण एवं अनुरक्षण।	बजट के माध्यम से
13	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास (SCP)	अनुसूचित जाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में कृषि विकास एवं आजीविका वृद्धि हेतु, बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, सामुदायिक सिंचाई टैंक /गूल निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, पॉली हाउस, छत वर्षा जल संरक्षण टैंक एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। **आउटकम–** चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में नई कृषि तकनीकियों एवं कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता।	बजट के माध्यम से
14	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास (TSP)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में कृषि विकास हेतु विभिन्न कृषि निवेश एवं सहायता प्रदान करना। योजना में बीज मिनिकिट, कृषि यन्त्र, सामुदायिक सिंचाई/गूल, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य, पॉली हाउस छत वर्षा टैंकों का निर्माण एवं एच0डी0पी0ई0 पाईप वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। **आउटकम**– चयनित अनुसूचित जनजाति ग्रामों में नई कृषि तकनीकियों एवं कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता।	बजट के माध्यम से

क्र.सं.	योजना का नाम	विशेषता	अभ्युक्ति
15	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का अधिक समग्र एवं समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि, जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुरूप मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना प्रारम्भ गयी है, जो कि एक गैप फिलिंग योजना है। **आउटकम–** विभिन्न योजनाओं में गैप फिलिंग।	बजट के माध्यम से
16	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	कृषि फसलों के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रफल को बीमित करने तथा कृषकों की फसल क्षति का वास्तविक आंकलन एवं क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा इकाई सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2022–23 से ग्राम पंचा यत स्तर पर किया गया है। **आउटकम–** वास्तविक क्षति का आंकलन एवं कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान।	बजट के माध्यम से
17	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के परम्परागत फसल अनाज, दलहन एवं तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण का कार्य। आउटकम– परम्परागत फसलों के समर्थन मूल्य का निर्धारण।	बजट के माध्यम से
18	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन। **आउटकम–** स्थानीय फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि।	बजट के माध्यम से
20	नाबार्ड सहायतित– **IRDF**	नाबार्ड द्वारा संचालित योजना आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वित्त पोषित	बजट के माध्यम से
21	कृषक उत्पादक समूह	कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	बजट के माध्यम से
22	राज्य मिलेट मिशन (पॉलिसी)	राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ– साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा। मिलेट फसलों का क्रय PACs के माध्यम से कृषक तथा समूह में किया जायेगा। **आउटकम–** प्रदेश के मुख्य मिलेट को प्रोत्साहन	बजट के माध्यम से
23	जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु चेनलिंक फैन्सिंग	कृषकों की फसल की जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु खेतों के चारों तरफ चैनलिंक फेन्सिंग की व्यवस्था करना **आउटकम**– किसानों के प्रक्षेत्र में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हेतु घेरबाड़	बजट के माध्यम से

वर्ष 2025-26 में योजनावार बजट प्राविधान, जारी स्वीकृतियां एवं व्यय का विवरण (माह- 28 फरवरी, 2026 तक)

बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय/आहरण का विवरण, वर्ष 2025-26

1– केन्द्रपोषित योजनाएं :–

क्र. सं.	योजना का नाम	अनु. सं.	लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय/आहरण
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-01	70	3038.42	1092.54	940.92
				71	336.94	121.40	104.55
		30	2401-00-001-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	791.13	287.20	252.83
				71	87.91	31.91	28.09
		31	2401-00-001-01-08	14	0.02	0.00	0.00
				70	126.76	7.76	6.86
				71	14.09	0.86	0.76
		Total			**4395.29**	**1541.67**	**1334.01**
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	999.84	499.92	382.65
				71	111.09	55.55	42.52
		30	2401-00-001-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				70	380.00	119.72	82.63
				71	42.00	13.30	9.18
		31	2401-00-001-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	54.00	18.51	15.84
				71	6.00	2.05	1.77
		Total			**1592.99**	**709.05**	**534.59**
3	रेनफेड एरिया डेवलपमैंट (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	700.00	435.04	383.57
				71	78.00	48.34	42.62
		30	2401-00-001-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	215.00	114.36	87.74
				71	24.00	12.71	9.75
		31	2401-00-001-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				70	34.00	3.10	2.25
				71	4.00	0.34	0.25
		Total			**1055.06**	**613.89**	**526.18**
4	''पर ड्राप मोर क्राप'' (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना) (90 प्र0के0 पो0)	17	2401-00-001-01-05	14	0.02	0.00	0.00
				70	3582.35	1963.42	1261.21
				71	398.00	218.16	140.13
				72	890.09	0.00	0.00
		30	2401-00-001-01-05	14	0.02	0.00	0.00
				70	799.35	516.12	257.74
				71	88.82	57.35	28.64
				72	216.82	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	158.00	13.96	7.64
				71	18.00	1.55	0.85
				72	34.23	0.00	0.00
		Total			**6185.72**	**2770.56**	**1696.21**
5	स्वाईल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटि (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-07	14	0.02	0.00	0.00
				70	555.50	172.45	168.00
				71	61.72	19.16	18.67
		30	2401-00-001-01-07	14	0.02	0.00	0.00
				70	118.74	45.33	41.55
				71	13.19	5.04	4.62
		31	2401-00-001-01-06	14	0.02	0.00	0.00
				70	18.00	1.22	1.17
				71	2.00	0.13	0.13
		Total			**769.21**	**243.33**	**234.14**

क्र. सं.	योजना का नाम	अनु. सं.	लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय/आहरण
6	परम्परागत कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-08	14	0.02	0.00	0.00
				70	2837.03	1435.47	977.71
				71	322.84	159.50	108.63
		30	2401-00-001-01-08	14	0.02	0.00	0.00
				70	692.74	377.33	256.54
				71	76.97	41.93	28.50
		31	2401-00-001-01-07	14	0.02	0.00	0.00
				70	135.00	10.20	6.92
				71	15.00	1.13	0.77
		Total			**4079.64**	**2025.56**	**1379.07**
7	नेशनल बैम्बू मिशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-10	70	146.31	146.30	115.31
				71	16.27	16.26	12.81
		30	2401-00-001-01-09	70	35.05	35.04	7.09
				71	3.90	3.89	0.79
		31	2401-00-001-01-09	70	5.43	5.42	2.95
				71	0.61	0.60	0.32
		Total			**207.57**	**207.51**	**139.27**
8	नैशनल मिशन फार नैचुरल फार्मिगं (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-11	70	604.19	604.19	84.88
				71	67.13	67.13	9.43
				14	50.02	0.00	0.00
		30	2401-00-001-01-10	70	147.18	147.18	25.91
				71	16.35	16.35	2.88
				14	199.35	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-10	70	23.24	23.24	3.14
				71	2.58	2.58	0.35
				14	31.50	0.00	0.00
		Total			**1141.54**	**860.67**	**126.59**
9	नमामि गंगे क्लीन अभियान–आर0के0 वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-12	14	0.02	0.00	0.00
				70	2700.00	1000.00	13.95
				71	300.00	111.11	1.55
		30	2401-00-001-01-11	14	0.02	0.00	0.00
				70	0.01	0.00	0.00
				71	0.01	0.00	0.00
		31	2401-00-001-01-11	14	0.02	0.00	0.00
				70	0.01	0.00	0.00
				71	0.01	0.00	0.00
		Total			**3000.10**	**1111.11**	**15.50**
10	कृषि वानिकी– आर0के0वी0 वाई0 (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-13	14	0.02	0.00	0.00
				70	78.00	48.82	0.00
				71	8.67	5.42	0.00
		30	2401-00-001-01-13	14	0.02	0.00	0.00
				70	19.00	12.83	0.00
				71	2.11	1.43	0.00
		31	2401-00-001-01-13	14	0.02	0.00	0.00
				70	3.00	0.35	0.00
				71	0.33	0.04	0.00
		Total			**111.17**	**68.89**	**0.00**
11	मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेव्लपमेंट हॉर्टिकल्चर (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-16	70	4927.51	1762.65	1494.62
				71	547.51	195.85	166.07
		30	2401-00-001-01-15	70	1424.03	422.10	335.07
				71	158.23	46.90	37.23
		31	2401-00-001-01-15	70	211.10	60.25	41.81
				71	23.47	7.25	4.65
		Total			**7291.85**	**2495.00**	**2079.45**

क्र. सं.	योजना का नाम	अनु. सं.	लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय/आहरण
12	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				70	4780.09	1886.26	1681.11
				71	542.91	209.59	186.79
		30	2401-00-109-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	1190.46	495.83	404.85
				71	132.28	55.09	44.98
		31	2401-00-109-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	185.59	13.41	11.96
				71	20.73	1.49	1.32
		Total			**6852.12**	**2661.67**	**2331.01**
13	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	500.00	255.25	238.41
				71	56.00	28.36	26.49
		30	2401-00-109-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				70	190.00	68.07	54.75
				71	21.00	7.56	6.08
		31	2401-00-109-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				70	30.00	17.02	11.61
				71	3.33	1.89	1.28
		Total			**800.39**	**378.15**	**338.62**
14	नैशनल ई0 गवर्ननैंस प्लान एग्रीकल्चर (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	820.74	410.34	187.05
				71	91.14	45.59	20.78
		30	2401-00-109-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	196.52	98.26	53.71
				71	21.84	10.92	5.97
		31	2401-00-109-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	30.38	15.20	10.44
				71	3.38	1.69	1.16
		Total			**1164.06**	**582.00**	**279.11**
15	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-05	14	0.02	0.00	0.00
				70	1308.10	734.44	679.34
				71	145.34	81.61	75.48
		30	2401-00-109-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	426.20	175.88	151.13
				71	47.80	19.54	16.79
		31	2401-00-109-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	68.70	27.18	26.69
				71	7.63	3.02	2.96
		Total			**2003.83**	**1041.67**	**952.39**
16	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-06	14	0.01	0.00	0.00
				70	231.10	231.10	230.33
				71	0.01	0.00	0.00
		30	2401-00-109-01-05	14	0.01	0.00	0.00
				70	0.01	0.00	0.00
				71	0.01	0.00	0.00
		31	2401-00-109-01-05	14	0.01	0.00	0.00
				70	0.01	0.00	0.00
				71	0.01	0.00	0.00
		Total			**231.18**	**231.10**	**230.33**
17	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-02	14	0.01	0.00	0.00
			2401-00-110-03-00	68	110.01	55.00	55.00
		Total			110.02	55.00	55.00

क्र. सं.	योजना का नाम	अनु. सं.	लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय/आहरण
18	प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली (90प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-02	14	0.02	0.00	0.00
				42	0.00	0.00	0.00
				68	0.00	0.00	0.00
		Total			**0.02**	**0.00**	**0.00**
19	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	17	2401-00-111-01-05	70	0.02	0.00	0.00
			2401-00-111-01-06	70	68.51	68.51	38.47
			2401-00-111-01-07	70	0.00	0.00	0.00
		Total			**68.53**	**68.51**	**38.47**
20		17	2401-00-114-01-03	14	0.02	0.00	0.00
				70	251.86	125.93	97.18
				71	27.98	13.99	10.80
		30	2401-00-114-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	60.31	30.16	20.47
				71	6.70	3.35	2.27
		31	2401-00-114-01-01	14	0.02	0.00	0.00
				70	9.33	4.66	4.23
				71	1.03	0.52	0.47
		Total			**357.27**	**178.61**	**135.42**
21		17	2401-00-114-01-04	14	0.02	0.00	0.00
				70	9.00	1.53	0.00
		Total			**9.02**	**1.53**	**0.00**
22		30	2401-00-001-95-04	56	0.00	0.00	0.00
योग (केन्द्रपोषित योजनाऐं)		**17**			**32300.54**	**14326.18**	**9997.03**
		30			**7845.29**	**3272.68**	**2257.78**
		31			**1280.75**	**246.62**	**170.55**
		Total			**41426.58**	**17845.48**	**12425.36**

2– राज्य सेक्टर की योजनाएं :–

धनराशि लाख रु0 में

कं0 सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय/आहरण
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	17	2401-00-001-04-00	15547.65	15547.65	11321.84
2	कृषि निवेश, भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-001-05-00	777.50	777.50	608.60
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	17	2401-00-001-07-00	73.35	73.35	61.98
4	जलपंप, स्प्रिंकलरसेट पालीहाउस विवधीकरण योजना	17	2401-00-001-96-01	1150.00	460.00	361.09
5	राज्य किसान आयोग का गठन	17	2401-00-001-12-00	55.50	55.50	15.86
6	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	17	2401-00-001-15-00	0.01	0.00	0.00
7	कृषकों की आय दोगुना करना	17	2401-00-001-16-00	0.01	0.00	0.00
8	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	17	2401-00-001-18-00	3500.01	1950.00	15.50
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	17	2401-00-001-19-00	9.25	9.25	7.61
10	कृषि उत्पाद समूह	17	2401-00-001-20-00	0.01	0.00	0.00
11	राज्य मिलेट्स मिशन	17	2401-00-001-22-00	1200.01	1200.00	565.87
12	कृषि चारा उत्पादान सर्वेक्षण (नई याजना)	17	2401-00-001-24-00	20.00	20.00	0.00

धनराशि लाख रु0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृत बजट	व्यय / आहरण
13	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	17	2401-00-102-03-00	575.00	0.00	0.00
14	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	17	2401-00-103-03-00	57.65	57.65	51.46
15	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-105-04-00	150.00	150.00	150.00
16	सूचना सलाह केन्द्रो का सुदृढीकरण	17	2401-00-109-04-00	11.75	11.75	7.92
17	कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण	17	2401-00-111-02-00	50.00	50.00	0.00
18	4401–कृषि एवं रंखीय विभागों / परिषद / बोर्ड	17	4401-00-190-00-02	0.01	0.00	0.00
19	खाद्यान्न / दलहन / तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	17	4401-00-103-03-00	2000.00	2000.00	1000.01
20	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्टस की लागत	17	4401-00-107-03-00	1500.00	987.50	713.57
21	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	17	4401-00-800-05-00	100.00	96.22	0.00
22	नाबार्ड सहायतित–आर0 आई0डी0एफ0	17	4401-00-800-98-01	1600.00	723.49	723.49
23	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास	**30**	2401-00-102-02-05	500.00	500.00	396.67
24	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास	**31**	2401-00-102-02-02	200.00	200.00	167.46
योग (राज्य सेक्टर)		**17**		**28377.71**	**24169.86**	**15604.80**
		30		**500.00**	**500.00**	**396.67**
		31		**200.00**	**200.00**	**167.46**
		Total		**60678.25**	**38496.04**	**25601.83**
कुल योग (केन्द्रपोषित + राज्यपोषित)		**17**		**8345.29**	**3772.68**	**2654.45**
		30		**1480.75**	**446.62**	**338.01**
		Total		**70504.29**	**42715.34**	**28594.29**
राजस्व				**65304.29**	**38908.13**	**26157.22**
पूंजीगत				**5200.00**	**3807.21**	**2437.07**
महायोग				**70504.29**	**42715.34**	**28594.29**

आउटकम बजट 2026-27

विभाग का नाम– कृषि विभाग, उत्तराखण्ड **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger -(2.3)**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना। 2. गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सुदृढ़ीकरण। 3. स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना/कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन।	13789.00	–	वर्ष 2024–25 में संचालित 21 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 06 परियोजनायें पूर्ण हुयी हैं तथा 15 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है।	वर्ष 2024–25 की 04 संचालित परियोजनाओं पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्ष 2025–26 में एस0एल0एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में कार्य संचालित है।	वर्ष 2026–27 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नयी परियोजनाओं का संचालन किया गया।	वर्तमान में संचालित 15 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा योजना के तहत नयी परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।	
					सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति अपने स्तर से उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–				
					1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–90,000 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– 95 संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–2160 है0	1.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल– है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम(चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–2160 है0	1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण– क्षेत्रफल– हैक्टेयर मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– संख्या 2. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–3260 है0	1. जैविक कृषि के क्षेत्रफल एवं जैविक उत्पादन में वृद्धि होगी। 2. पूर्व वर्षो में संचालित कार्यो से भूमि एवं जल संरक्षण कार्य हो रहा	1 वर्ष 1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. मूल्य संवर्द्धन माडल को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषकों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना।			बीज वितरण–1603 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–1478 है०, जल सवंहन पाईप वितरण –12065 मी० प्रशिक्षण–21 संख्या 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत बहुउददेशीय जल सम्भरण योजना– बहुउददेशीय टैंक–45 सं० उद्यानीकरण– 20800 सं0 पॉली टनल– 780 पॉलीहाऊस –40 5. एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रिटेनिंग वाल– 1695 ब्रास्ट वाल– 1540 चैक डैम– 650 चैक वाल– 1420	बीज वितरण–3960 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –7146 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 17500 मी०, प्रशिक्षण–25 संख्या 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत बहुउददेशीय जल सम्भरण योजना– बहुउददेशीय टैंक–79 सं० उद्यानीकरण– 35714 सं0 पॉली टनल– 1115 पॉलीहाऊस –70 5. एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– रिटेनिंग वाल– 4280 ब्रास्ट वाल– 3600 चैक डैम– 13020 चैक वाल– 2700	बीज वितरण–4800 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण – 8000 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 25000 मी०, प्रशिक्षण–25 संख्या 4. उत्तराखण्ड में एकीकृत बहुउददेशीय जल सम्भरण योजना– बहुउददेशीय टैंक–100 सं० उद्यानीकरण– 40000 सं0 पॉली टनल– 2500 पॉलीहाऊस –100	है। 3.नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। 4. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता होगी।	– 1 वर्ष 1 वर्ष
2	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (धान, गेहूँ,	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ,	1592.99		संचालित कार्यक्रम – 1. क्लस्टर प्रदर्शन है0)–5947 2. बीज वितरण (कुं0)–4253.25	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 7143 2. बीज वितरण (कुं0)–6171 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 8000 2. बीज वितरण (कुं0)–10447 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी,	1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मोटे अनाज, दलहन, एवं पौष्टिक अनाज) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, एवं दलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।			3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–30022 4– कृषक प्रशिक्षण (सं0)–42 5. स्थानीय/अन्य पहल / टैंक (सं0)–28 6. बीज उत्पादन (कुं0)–2342.61 7 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 4 8. कृषि यंत्रीकरण– 103	(है0)–30739 4. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–50 5 स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–12 6 बीज उत्पादन (कुं0)–2342.61 7 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 9	(है0)–33128 4. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–54 5. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–12 6. बीज उत्पादन (कुं0)–3580 7. ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर–10	देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गेहूँ जनपद चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में पौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज, एवं दलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
3	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन– तिलहन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित कर प्रदेश को तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना।	357.27		संचालित कार्यक्रम – 1. ब्लॉक प्रदर्शन (है0)–1727 2. वैल्यू चैन क्लस्टर अंतर्गत बीज वितरण (कुं0)– 182	संचालित कार्यक्रम – 1. ब्लॉक प्रदर्शन (है0)–1820 2. वैल्यू चैन क्लस्टर अंतर्गत बीज वितरण (कुं0)– 200	संचालित कार्यक्रम – 1. ब्लॉक प्रदर्शन (है0)–700 2. वैल्यू चैन क्लस्टर अंतर्गत बीज वितरण (कुं0)– 1287.50	योजना में सभी जनपदों में तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
4	प्रधानमंत्री	1. प्रक्षेत्र स्तर पर	6185.72	-	1. जल संग्रहण संरचनायें	1. जल संग्रहण	1. जल संग्रहण संरचनायें	उपलब्ध एवं वर्षा जल	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	2		(सं0)–216 2. चेक डेम– 8 3. HDPE पाईप मी0– 150000 4. जल पम्प(सं0)– 9 5. ट्यूबवेल (सं0)– 69 6. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी/माइक्रो/ पोर्टेबल)– 2389 है0 7. लाभार्थी (सं0)– 2562	संरचनायें (सं0)–562 2. चेक डेम–141 3. HDPE पाईप मी0– 280000 4. जल पम्प(सं0)– 159 5. ट्यूबवेल(सं0)– 272 6. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी/माइक्रो/ पोर्टेबल)– 2316 है0 7. लाभार्थी (सं0)– 7753	(सं0)–622 2. चेक डेम–150 3. HDPE/ LDPE पाईप (मी0)– 400000 4. जल पम्प(सं0)– 165 5. ट्यूबवेल(सं0)– 292 7. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/मिनी/माइक्रो/ पोर्टेबल)– 24800 है0 7. लाभार्थी (सं0)– 8252	का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)								
5	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जलवायु की दृष्टि से कमजोर वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती, वर्षा जल प्रबंधन एंव उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण में वृद्धि करना।	1055.06	–	1. एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– (फसलें/पेड़/पशुधन आदि)– 803 है0 (861 लाभार्थी) 2. मत्स्य पालन (फिंगरलिंग) इकाई– 317 सं0 3. मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी)– 861 सं0 4. साइलेज इकाई–04 सं0 5. वर्मीकम्पोस्ट	1. एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– (फसलें/पेड़/पशुधन आदि)– 3520 है0 (4924 लाभार्थी) 2. मत्स्य पालन (फिंगरलिंग) इकाई– 1205 सं0 3. मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी)– 4515 सं0 4. साइलेज इकाई–20 सं0 5. वर्मीकम्पोस्ट	1. एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– (फसलें/पेड़/पशुधन आदि)– 3616 है0 (5412 लाभार्थी) 2. मत्स्य पालन (फिंगरलिंग) इकाई–1250 सं0 3. मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी)– 4600 सं0 4. साइलेज इकाई–25 सं0 5. वर्मीकम्पोस्ट	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					इकाइयाँ / जैविक इनपुट– 849 सं0 6. क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण– 68 सं0 (अनुमोदित क्लस्टरों की संख्या– 82)	इकाइयाँ / जैविक इनपुट– 4515 सं0 6. क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण– 82 सं0 (अनुमोदित क्लस्टरों की संख्या– 82)	इकाइयाँ / जैविक इनपुट– 4600 सं0 6. क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण– 89 संख्या (सम्भावित कुल क्लस्टरों की संख्या– 82)		
6	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता AAP based Component under RKVY (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। 4. विभिन्न प्रयोगशालाओं का विस्तारीकरण / सुदृढ़ीकरण	846.21	-	योजनान्तर्गत 51,525 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुये मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को वितरित किये गयें।	योजना के अन्तर्गत– 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 87,783 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण–87,783 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 87,783	योजना के अन्तर्गत– 1. मृदा नमूनों का एकत्रण– 1,20,000 2. मृदा नमूनों का विश्लेषण–1,20,000 3. सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण– 1,20,000	कृषकों को मृदा परीक्षण आधारित संस्तुतियां उपलब्ध करायी जायेगी जिससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।	एक वर्ष
7	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि	5381.00	-	वर्ष 2025–26 से 2500 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 50000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत फसल विशेष	वर्ष 2025–26 से 2500 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 50000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत फसल विशेष	योजना के अन्तर्गत 50000 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि से आच्छादित किया जायेगा।	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	तीन वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्यांश)	को प्रोत्साहित करना।			आधारित कलस्टरों का चयन किया गया है।	आधारित कलस्टरों का चयन कर योजना संचालित की जा रही है।			
8	नेशनल मिशन फॉर नैचुरल फार्मिंग (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	प्राकृतिक खेती का उददेश्य उत्पादन की लागत को लगभग शून्य तक लाना है। शून्य लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति निश्चित रूप से एक अनुकरणीय पहल है।	1771.36		वर्ष 2025 से 2026 तक 10000 है (200 कलस्टर) में योजना का संचालन किया गया है।	वर्ष 2025 से 2026 तक 10000 है (200 कलस्टर) में योजना का संचालन किया जा रहा है।	प्राकृतिक खेती को अपनाकर उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाना है तथा कम लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना है।	कृषकों में आय में वृद्धि होगी	2 वर्ष
9	नमामि गंगे क्लीन अभियान (90 प्रतिशत के0पो0)	प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित करना। कलस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम प्रचायतों में PGS certification के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	3000.04		स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' की द्वितीय वर्ष की कार्ययोजना 7 गंगा जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों के 50000 है0 क्षेत्रफल में संचालित की गई।	स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' तृतीय वर्ष की कार्ययोजना 7 गंगा जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों के 50000 है0 क्षेत्रफल में संचालित की जायेगी।	योजनान्तर्गत 50000 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अर्न्तगत आच्छादित किया जायेगा।	50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।	3 वर्ष
10	कृषि वानिकी -	योजना वर्ष 2016–17 में ''हर मेड़ पर पेड़''	121.46		योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु 12 नर्सरी	1. नर्सरी (छोटी)– 10 सं0	1. 10 नर्सरी (छोटी)– 10 सं0	योजना का संचालन गुणवत्तापूर्ण रोपण	1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(90% CS Components of RKVY Scheme-Agro Forestry)	के आदर्श वाक्य के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तारित करने, के लिये "नैशनल मिशन फोर ससटेंनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)" के अन्तर्गत "सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्टी (SMAF)" के तहत प्रारम्भ की गयी।			बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 10 नर्सरी (छोटी)– रू0 10.00 लाख प्रति तथा 2 नर्सरी (बड़ी)– रू0 16.00 लाख प्रति कुल रू0 137. 77 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा आवंटित प्रथम किस्त रू0 68.90 लाख का आवंटन जनपदों को किया जा चुका है। नर्सरी बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।	2. नर्सरी (बड़ी)– 2 सं0 3. कौशल विकास एवं जागरूकता अभियान– 10 सं0 4. स्थानीय पहल– 10 सं0 नर्सरी बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।	2. 02 नर्सरी (बड़ी)– 2 सं0 3. कौशल विकास एवं जागरूकता अभियान– 10 सं0 4. स्थानीय पहल– 10 सं0	सामग्री (QPM) के लिये नर्सरी की स्थापना, किसानों/ फील्ड श्रमिकों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, एक्सपोजर विजिट, राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सेमीनार/कार्यशाला जैसी गतिविधियों में सहयोग देना, अनुसंधान एवं विकास कार्य, अन्य तकनीकी कार्यो की जांच एवं मूल्यांकन तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार को बढावा दिये जाने हेतु आर0के0वी0 वाई0 गाईडलाइन के सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत योजना की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।	

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)								
11.	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2. कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4. सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5. प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना। 6. प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं	7699.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –4 2. फार्म मशीनरी बैंक– 73 3. ट्रैक्टर – 9 4. रोटावेटर –62 5. पावर वीडर –1486 6. थैसर/मल्टी क्रॉप–49 7.पावर टिलर –10 8. ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र – 700 9. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर– 14 10. चैफ कटर–23 11. ब्रश कटर– 115 12. पशु चालित यंत्र–103 13. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–135 14. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 464 15. छोटे कृषि यंत्र– 299490	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –19 2. फार्म मशीनरी बैंक– 337 3. ट्रैक्टर – 64 4. रोटावेटर– 215 5. लेजर लैंड लेवलर –20 6. पावर वीडर – 2500 7. थैसर/मल्टी क्रॉप– 90 8.पावर टिलर – 10 9. ट्रैक्टर/ पावर चलित यन्त्र –700 10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर– 24 11.कृषि रक्षा यंत्र–200 12. चैफ कटर–61 13. ब्रश कटर– 2279 14. पशु चालित यंत्र–125 15. छोटे कृषि यंत्र– 499780	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –50 2. फार्म मशीनरी बैंक–570 3. ट्रैक्टर –110 4. रोटावेटर –530 5. लेजर लैंड लेवलर –30 6. पावर वीडर – 6700 7.पावर टिलर – 15 8. ट्रैक्टर पावर चलित यन्त्र –750 9. रीपर–80 10.कृषि रक्षा यंत्र–250 11. चैफ कटर–161 12. ब्रश कटर– 320 13. पशु चालित यंत्र– 2500 14. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–45 15. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 40	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।							
12	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कृषकों को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	800.39	-	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 47753 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–34756 3. रबी फसलों (गेहूँ, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–28706 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–1069	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–124057 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 35120 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)– 30776 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–2186	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–128925 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–39450 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–32450 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)–2365	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	एक वर्ष
13	NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार (डिजीटल एग्रीकल्चर)	1513.02	-	परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। ई–टेन्डर की कार्यवाही गतिमान है।	भारत सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाईन के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम् तकनीकी, उपग्रह डाटा/ रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. तथा मौसम के कारकों के आंकड़ों के उपयोग के आधार पर कृषि विकास को नई दिशा दी जा रही है।	नवीनतम तकनीकी, जी0आई0एस0 उपग्रह डॉटा/रिमोट सेंसिंग तथा आई0ओ0टी0 से प्राप्त डाटा के अन्तर्गत Econometric models का उपयोग कर फसलों के उत्पादन के पूर्वानुमान/अनुमान लगाया जायेगा	दो वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) –तदैव –	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास। 4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना। 5. कृषक समूह का गठन। 6. सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना।	2204.12	-	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 80 2. प्रदर्शन– 4477 3. भ्रमण कार्यक्रम–40 4. कृषक समूहों का गठन– 99 5. किसान मेलों का आयोजन–6 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–7 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे–91 8. कृषक पुरूस्कार–254 9. फार्म स्कूल– 162 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 15106 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 266 2. प्रदर्शन– 8632 3. भ्रमण कार्यक्रम–136 4. कृषक समूहों का गठन– 362 5. किसान मेलों का आयोजन–13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–26 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे– 180 8. कृषक पुरूस्कार–480 9. फार्म स्कूल– 280 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 46236 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 324 2. प्रदर्शन–9000 3. भ्रमण कार्यक्रम– 160 4. कृषक समूहों का गठन – 760 5. किसान मेलों का आयोजन– 13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 26 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–520 9. फार्म स्कूल– 285 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –25000 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
15	सब मिशन ऑन सीड	बीजों के परिवहन में व्यय होने वाली	300.02	-	45473 कुंतल प्रमाणित	45473 कुंतल प्रमाणित	7000 कुंतल प्रमाणित	कृषकों को बीज दर में	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (100 प्रतिशत के0पो0)	धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।			बीजों के परिवहन किया गया है।	बीजों के परिवहन किया गया है।	बीजों (खरीफ मौसम में) कुल 45000 कुंतल प्रमाणित बीजों (खरीफ एवं रबी मौसम) के परिवहन करना सम्भावित है।	कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।	
16	किसानों हेतु फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) –तदैव–	1. किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। 2. खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। 3. किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। 4. उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने	100.00	-	में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–0.75 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.16 लाख है0 3.बीमित धनराशि–रू0 12222.52 लाख 4.प्रीमियम की धनराशि–रू0 556.54 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में– 61.15 लाख 6.लाभान्वित कृषक खरीफ में– 958 (खरीफ) रबी मौसम प्रगति पर है।	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–1.50 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.24 लाख है0 3.बीमित धनराशि–रू0 10614.53 लाख 4.प्रीमियम की धनराशि–रू0 500.06 लाख 5.क्लेम भुगतान रबी में–75.00 लाख 6.लाभान्वित कृषक–1200 (खरीफ) रबी मौसम प्रगति पर है।	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 2.00 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–2.50 लाख 2.बीमित क्षेत्रफल–0.35 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।							
17	केन्द्रपोषित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" की उपयोजना / घटक योजना– प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली (Yield Estimation System based on Technology YES-TECH)	प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल उत्पादकता के अनुमान तैयार करने में प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को अपनाने तथा बीमा दावा मूल्यांकन के लिये संसूचित फसल धान व गेहूं के औसत उपज के आंकड़े तैयार करने हेतु।	0.02		खरीफ–2023 से योजनान्तर्गत फसल धान व गेहूं की ग्राम पंचायत स्तर पर क्षति के आंकलन हेतु उत्पादकता के अनुमान (YES-Tech) के माध्यम से तैयार किये जायेंगे। जिसमें प्रारम्भ में तकनीकी आधारित उपज का 30 प्रतिशत वेटेज तथा 70 प्रतिशत वेटेज पारम्परिक उत्पादकता (क्राप कटिंग प्रयोग आधारित उपज) का उपयोग किया जायेगा तथा जिसे वर्षवार 10 से 20 प्रतिशत अनुभव के आधार पर बढ़ाया जायेगा।	प्रदेश के जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून मैदानी (तहसील विकासनगर, देहरादून, डोईवाला एवं ऋषिकेश) एवं नैनीताल मैदानी (तहसील हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआँ एवं कालाढुंगी) में खरीफ 2025 से (YES-Tech) लागू किया गया है। उक्त चार मैदानी जनपदों देहरादून (मैदानी), हरिद्वार, नैनीताल (मैदानी) तथा उधमसिंहनगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल धान तथा गेहूं के औसत उपज के आंकड़े Semi-Physical Model से तैयार करने हेतु Star Agribazaar Technology Pvt. Ltd को– TIP हेतु चयनित किया गया है। भारत	बीमित कृषकों की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली अनुमानित फसल क्षति की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य द्वारा 90:10 के अनुसार 10 प्रतिशत राजांश वहन किया जायेगा।	भारत सरकार की गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–5.3 से योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्देश दिये गये है।	1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						सरकार द्वारा Space Application Centre (SAC), ISRO, Ahmedhabad को MITR हेतु नामित किया गया है।			
	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)								
18	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स (TRS +TRS) (100 के0पो	TRS (Timely Reporting Scheme) - बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	70.49		नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ–1691 रबी–1691 जायद–479 योग–3861	नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ–1690 रबी– 1690 जायद– 479 योग– 3859	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रयोग नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ – 1691 रबी – 1691 जायद – 479	फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान होगा, जिसका अग्रिम आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	एक वर्ष
		ICS (Improvement in Crop Statistics) - फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।	-	-	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–271ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये जायेंगे :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–542 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–271 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग 6. गन्ना– 20 प्रयोग	तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग 6. गन्ना– 20 प्रयोग	तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100 प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120 प्रयोग 6. गन्ना– 20 प्रयोग	उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	
19	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM-Kisan (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	1. किसानों को कृषि निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना। उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।	-	-	योजना 01 दिसम्बर, 2018 से शुरू की गई है। जिसमें तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 समस्त किसान परिवारों को प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना। 1. पंजीकृत कृषक– 9.11 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि– 3457.73 करोड़ (कुल 21 किस्तें)	2025 में योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक लाभान्वित हुये :– 1. कुल सक्रिय कृषक– 9.11 लाख 2. कृषकों को भुगतान कुल धनराशि– 346.27 करोड़ (दो किस्तों में) प्रथम किस्त– (अप्रैल–जुलाई)– लाभान्वित कृषक– 8,28,787 (रू0 184.25 करोड़) द्वितीय किस्त– (अगस्त–नवम्बर)– लाभान्वित कृषक– 8,09,710 (रू0 162.02 करोड़) तृत्तीय किस्त– (दिसम्बर–मार्च)– कृषक	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।	01 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						8,50,000 (सम्भावित)			
20	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) (50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.–के.एम.वाई) के अन्तर्गत सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।	-	-	18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक–2169	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक– 2169	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र होंगे।	एक वर्ष
21	कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना औरसामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्तसुविधा।	-	-	वर्ष 2020–21 से 2025–26 तक कुल 6 वर्षो में 785 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने जाने का प्रविधान है। वर्ष 2025–26 दिसम्बर, 2025 तक रू0 709.42 करोड़ के 695 आवेदन ऋण अनुमोदित किये गये है।	रू0 785 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। मार्च, 2026 तक शत् प्रतिशत ऋण अनुमोदित की सम्भावना है।	वर्ष 2026–27 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्य के सापेक्ष ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	फसलोपरांत उत्पादों को रखने एवं विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी।	01 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	किसान उत्पादक समूह (FPO)	**1.** किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। **2.** सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। **3.** किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। **4.** किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना	-	-	निम्न संस्थाओं द्वारा 161 कृषक उत्पादक समूह गठित किये गये– 1. नाबार्ड–30 2. एस0एफ0ए0सी0–43 3. एन0सी0डी0सी0–35 4. नाफेड– 32 5. ट्राइफेड– 2 6. एन.डी.डी.बी.– 4 7.एफ.डी.आर.वी.सी. – 15 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।	निम्न संस्थाओं द्वारा 161 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जायेगा– 1. नाबार्ड–30 2. एस0एफ0ए0सी0–43 3. एन.सी.डी.सी.–35 4. नाफेड– 32 5. ट्राइफेड– 2 6. एन.डी.डी.बी.– 4 7.एफ.डी.आर.वी.सी.– 15 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण NABCONS द्वारा पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कर दिया गया है। –तदैव–	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी निर्गत कर दी जायेगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	केन्द्रपोषित ''नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयलसीड –(NMEO Oilseed)'' की उपयोजना /घटक– 100 प्रतिशत् केन्द्र सहायतित प्रजनक बीजों का क्रय (100% CS Components of NMEO-Oilseed Scheme)	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों के आधारीय एवं प्रमाणित बीजो की आवश्यकता के पूर्ति के लिये आई0सी0ए0आर0 / राज्य कृषि विश्वविद्यालयों / के0वी0के0 से प्रजनक बीजों के क्रय करने में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम जैसी संस्थाओं को करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	9.00		प्रजनक बीज क्रय–8.60 कुं0	प्रजनक बीज क्रय–8.60 कुं0	प्रजनक बीज क्रय–24.50 कुं0	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की श्रंखला प्रजनक बीज से प्रारम्भ होती है। प्रदेश में तिलहनी फसलों के आधारीय एवं प्रमाणित बीजो की आवश्यकता के पूर्ति होगी	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	नैशनल बैम्बू मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बांस की खेती को प्रोत्साहन	614.66		योजना बांस एवं रेशा विकास परिषद उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जा रही है।			कृषकों की आय में वृद्धि हेतु।	एक वर्ष
25	मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेन्ट हॉर्टिकल्चर – 90 प्रतिशत के0पो0	निदेशक बागवानी मिशन द्वारा दी गयी कार्य योजना स्वीकृत करते हुये बजट मांग के अनुसार किया जायेगा।	8000.00	–	योजना उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।			–	एक वर्ष
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग		55976.41	-					
	राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	16194.35	-	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ 4800,	कृषि विभाग के कार्यरत 1252 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ में 5110,	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रायोजित होंगे। खरीफ–5110,	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए जायेंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेगें, जिससे प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार होंगें।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					रबी/जायद– मौसम प्रगति पर है।	रबी/जायद – मौसम प्रगति पर है।	रबी/जायद–3730		
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	777.50	-	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया गया।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	71.55	-	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया गया। 1. नमूनों का विश्लेषण– मृदा – 51525 उर्वरक – 1067 कीटनाशी – 441 बीज – 632	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जा रहा है। 1.नमूनों का विश्लेषण – मृदा – 87783 उर्वरक – 1077 कीटनाशी – 1000 बीज – 800	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जायेगा। 1. नमूनों का विश्लेषण– मृदा – 120000 उर्वरक – 2500 कीटनाशी – 1000 बीज – 800	कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं	1150.00	-	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम हो रहा	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हाउस विविधीकरण	में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके।			वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	है, वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार होगा।	
5	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	55.50	-	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया गया।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र में नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	0.00		प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।			एक वर्ष
7	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	0.01		न्याय–पंचायत स्तर पर तैयार माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से तथा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में आयवृद्धिपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से कृषकों की आय में वृद्धि हेतु	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जायेंगे।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेतु कार्य किये गये।	कार्य किये जा रहे हैं।			
8	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	योजना का मुख्य उददेश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है ताकि कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन एवं कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है।	2000.00		कृषि से सम्बन्धित 11 विभागों यथा–यू0सी0एफ0, कृषि, भेड़ एवं ऊन विकास, लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुपालन, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मत्स्य, डेयरी, रेशम, पं0गो0ब0पन्त विश्वविद्यालय, वी0पी0के0ए0एस0, वी0च0सि0भण्डारी, भरसार विश्वविद्यालय एवं कैप की 11 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिनपर कार्य संचालित है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 सम्बन्धित विभागों को कार्य क्रियान्वयन हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है।	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।	उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास, कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	सर्वेक्षण का उददेश्य खरीफ ऋतु में फसल मण्डुवा, सॉवा, उर्द, रामदाना, गहत, सोयाबिन, भटट, राजमा एवं रबी में फसल मसूर व लाही/सरसों की उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकडे	9.25		वर्ष 2025–26 में योजना के अन्तर्गत 210 ग्रामों के सापेक्ष 170 ग्रामों में कार्य सम्पादित किये गये।	कुल सम्भावित 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित कर लिया जायेगा।	वर्ष 2026–27 में पर्वतीय जनपदों की सभी फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिसमें परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तैयार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय भाग के किसानों को उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर उनकी आय में वृद्धि कराना है।							
10	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	575.00		इस कार्यक्रम अन्तर्गत सत्यापित बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारण किये गये है।	शासन स्तर परम्परागत फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु कार्यवाही गतिमान है।	न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण होने पर परम्परागत फसलों के सत्यापित बीजों का उत्पादन एवं वितरण अनुदानित मूल्य पर किया जायेगा।	कृषकों को स्थानीय फसलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। तथा इन फसलों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होगा।	एक वर्ष
11	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	54.70	–	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 297.23 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन तथा 405.65 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल 702.88 कुं0 बीज उत्पादन किया गया।	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 297.23 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन तथा रबी में लगभग 550 कुं0 बीज उत्पादन की सम्भावना है। वर्ष में लगभग कुल 847.23 कुं0 बीज उत्पादन सम्भावित है।	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 1000 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के आधारीय बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
12	जैविक उत्पाद	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	100.00	-	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत पदो	जैविक कृषि को बढ़ावा देना।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	परिषद् का सुदृढ़ीकरण				पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये से रखे गये 16 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया गया।	पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये से रखे गये 16 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	के सापेक्ष कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन भत्ते तथा आउट सोर्सिंग एवं संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के मानदेय का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।		
13	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	11.75	-	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	एक वर्ष
14	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	प्रदेश में बीमा योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करना। ग्राम पंचायत पर क्रॉप कटिंग कराना एवं उसके आधार पर फसल बीमा के अन्तर्गत क्षति का मूल्यांकन करना। यह कार्य आउट सोर्सिंग/ टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।	0.01	-	शासन के पत्रांक 1439 दि0 19.08.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग कराने की कार्य योजना राजस्व परिषद् को उपलब्ध कराये जाने के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2025–26 में योजना के अन्तर्गत आवंटित गया बजट रू0 50.00 लाख को राजस्व परिषद् को हस्तांतरित किया गया है।	ग्रामपंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा।इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	ग्रामपंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा।इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	ग्रामपंचायत स्तरपर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा। इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष
15	खाद्यान्न/	गुणवत्ता युक्त बीजों	-	2500.00	कृषि विभाग द्वारा	कृषि विभाग द्वारा	कृषि विभाग द्वारा	गुणवत्तायुक्त बीज	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दलहन/ तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	की उपलब्धता सुनिश्चित करना।			योजनान्तर्गत कुल 45473 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	योजनान्तर्गत खरीफ में– 10476 कुं0 तथा रबी में – 34996 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण किया गया।	योजनान्तर्गत कुल 43500 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	
16	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	-	1000.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. पौध रक्षा रसायन– 47 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 4740 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 3,20,000 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. पौध रक्षा रसायन– 109 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 890 मै0टन 3. जैव उर्वरक–5,00,000 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. पौध रक्षा रसायन–210 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व– 5000 मै0टन 3. जैव उर्वरक–5,00,000 ली0	फसलों पर लगने वाले कीट/रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगे।	एक वर्ष
17	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	100.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	गत वर्ष जिन 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट से पूर्ण किया जा रहा है।	विकासखण्ड स्तर पर निर्मित 5 राजकीय बीज भण्डारों/अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष
18	अनुसूचित जाति बाहुल्य	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का	500.00	-	चयनित 86 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :–	चयनित 86 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :–	चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :–	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास होगा,	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम ––तदैव ––	लक्ष्य प्राप्त करना।			1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण– 3606 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 11 है0 3. चैक वॉल/रिटेनिंग वॉल/ब्रस्ट वॉल–49 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–5995 सं0 5. बुखारी वितरण–157सं0 6. छत वर्षा संरक्षण टैंक–652 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–8300 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–5 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–973 है0 10. पॉली हाऊस–03 सं0 11. मुर्गीबाड़ा/ मुर्गी पालन– 3613 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–380 सं0 13. फल पौध वितरण–713 सं0	1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण–5540 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 98 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ब्रस्ट वॉल–160 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–6281 सं0 5. बुखारी वितरण–550सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–760 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–50900 मी0 8.पौध रक्षा कार्यक्रम– 255 है0 9. पॉली हाऊस– 10 10. मुर्गीपालन–4400 सं0 11. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–450 सं0 12. सिंचाई टेंक (सामु0)– 9 सं0 13. फल पौध वितरण–11985 सं0 14. सूक्ष्म पोषक तत्व	1. बीज मिनिकिट वितरण –6000 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 380 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल–340 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–10000 सं0 5. बुखारी वितरण–610 सं0 6. छतवर्षा संरक्षण टैंक–1000 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप–45000 मी0 8. सिंचाई टैंक (सामु0)–25 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–2500 है0 10. पॉली हाऊस– 25सं0 11. मुर्गीबाड़ा/ मुर्गी पालन– 180 सं0 मुर्गीपालन– 5000 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–280 सं0 13. फल पौध वितरण–	जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होगी। ––तदैव ––	

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					14. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–750 है0	वितरण–1920 है0 15. मौन पालन–45 सं0 16. जियो लाईन टैंक–30 सं0	12500सं0 14. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण–735 है0 15. जियो लाईन टैंक–25 सं0		
19	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	200.00	-	चयनित 16 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित कियेः– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 825 सं0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 150 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 1342 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 9180 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 35 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 397 है0 7. उद्यानीकरण/ फल पौध–500 सं0 8. मुर्गीपालन– 5 सं0 9. जियो लाईन टैंक– 32 सं.	चयनित 16 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1420 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण –390 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 1342 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 9180 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक– 190 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 685 है0 7. उद्यानीकरण/ फल पौध– 1008 सं0 8. मुर्गीपालन/मौन पालन– 20 सं0	चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगेः– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1600 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 330 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 2000 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 25000 मी0 5. छतवर्षा जल संरक्षण टैंक–250 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 950 सं0 7 उद्यानीकरण/फल पौध वितरण–6000 सं0 8. मुर्गी पालन/मौन पालन–200 सं0	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची में वृद्धि कृषि क्षेत्र का विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						9. जियो लाईन टैंक– 35 सं0	9. सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 400 है0 10. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/ बढ़ईगिरी– 150 सं0 11. जियो लाईन टैंक– 20 सं0		
20	नाबार्ड सहायतित– आर0आई0 डी0एफ0	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/ प्रोजैक्टों के संचालन हेतु बजट		2000.00	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 6 परियोजना हेतु रू0 723.48 लाख धनराशि आवंटन के सापेक्ष शत् प्रतिशत व्यय किया गया।	जनपद– उत्तरकाशी– 1 हरिद्वार– 4, देहरादून– 2 ऊधमसिंह नगर–2 के उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 6 परियोजना हेतु रू0 723.48 लाख आवंटित धनराशि के सापेक्ष शत् प्रतिशत व्यय किया गया।	पी0एम0 गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजनान्तर्गत रू0 4922.00 लाख़ की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है।	कृषि उत्पादक एवं उत्पादकता के साथ–साथ किसानों की सुविधा हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं मण्डियों का निर्माण	1 वर्ष
21	कृषक उत्पादक समूह	सामूहिक खेती को प्रोत्साहन	0.01		NABCONS द्वारा उत्तराखण्ड कृषक उत्पादक संगठन की पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। –	कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) पॉलिसी बनाये जाने हेतु NABCONS, देहरादून जो कि नाबार्ड की सहायक संस्था है, NABCONS द्वारा उत्तराखण्ड कृषक उत्पादक संगठन की पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार	कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	किसानों की आय में वृद्धि करना	1 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						किया जा रहा है।			
22	राज्य मिलेट्स मिशन	राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लागू किया जाएगा	1200.01		स्टेट मिलेट पॉलिसी के अन्तर्गत अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जा रहा है तथा मण्डुवा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्तःग्रहण किया जा रहा है।	इस हेतु वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों द्वारा उत्पादित मण्डुवा का 5386 मै0टन का अन्तःग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0 4886.00 प्रति कु0) पर किया गया है। इसके अतिरिक्त समूह को मण्डुवा एकत्रीकरण करने हेतु रु0 300.00 प्रति कु0 प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।	स्टेट मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जा रहा है तथा मण्डुवा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्तरग्रहण किया जा रहा है। मिलेट फसलों के व्यापक प्रचार प्रसार गोष्ठियॉ/ मेले / पेमपलेट के माध्यम से किया जा रहा है।	मिलेट्स फसलों को प्रोत्साहित करना एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना।	5 वर्ष
23	फार्म फैंसिंग (घेरबाड़) योजना (नई योजना)	जंगली जानवरों/निराश्रित पशुओं की सुरक्षा हेतु फार्म फैंसिंग (घेरबाड़)	1000.00	-	-	जंगली जानवरों/ निराश्रित पशुओं की सुरक्षा हेतु फार्म फैंसिंग (घेरबाड़) पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है	फार्म फैंसिंग पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है	कृषकों की आय में वृद्धि करना तथा फसलों को जंगली जानवरों से नुकसान हेतु बचाना	5 वर्ष

आउटकम बजट 2026-27

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2025 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2026–27	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2026–27	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	कृषि चारा उत्पादन सर्वेक्षण –	फसलों के अनाज उत्पादन के साथ–साथ सूखे चारे के उत्पादन के अनुमान तैयार कर उत्पादन एवं चारे के उत्पादन के अनुपात ज्ञात कर सकल उत्पाद के अनुमान तैयार करना।	20.00		योजनान्तर्गत कृषि की फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ–साथ सहउत्पाद/ सूखे चारे के उत्पादन का कार्य प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जायेगा। इस हेतु रू0 20.00 लाख का बजट रखा गया है। कार्य योजना शासन को प्रेषित की गई है।	कार्य योजना शासन को प्रेषित की गई है। अनुमोदन उपरान्त बजट धनराशि को आवंटित की जायेगी।	योजनान्तर्गत कृषि की फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ–साथ सहउत्पाद/ सूखे चारे के उत्पादन का कार्य प्रदेश किये जाने का प्रस्ताव है। रू0 20.00 लाख का बजट का प्रस्ताव रखा गया है।		
	राज्य सैक्टर का योग		**22919.64**	**6600.01**					
	केन्द्र एवं राज्य सैक्टर का योग		**78896.05**	**6600.01**					
	कुल योग		**85496.06**						

आउटकम बजट 2026-27

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप– आउटकम बजट, वर्ष 2026–27

विभाग का नाम– कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

क्र. सं.	SDG संकेतक	1–4–2025 की भौतिक स्थिति (भौतिक)	31–3–2026 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) वर्ष 2026–27	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2026–27
1	2	3	4	5	6
	SDG-2 Zero Hunger (2.3)				
1	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	24.42 *	26.11 *	27.73 *	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 13.55 प्रतिशत एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 6.20 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि अनुमानित है।
	मिलेट उत्पादकता–मंडुवा/सांवां/रामदाना (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	14.97	15.31	15.08	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 0.73 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 1.50 प्रतिशत उत्पादकता में कमी अनुमानित है।
	कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत)	55.02	56.20	57.13	कृषि क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है। वर्ष 2023–24 की तुलना में लगभग 1.65 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी व खरीफ में नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषक (संख्या लाख में)	0.75	0.82	2.00	विभिन्न कार्यक्रमों, गोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला में माध्यम से कृषकों को फसल बीमा करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
	कुल कृषि क्षेत्रफल में जैविक कृषि का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	40	45	50	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में 11 प्रतिशत वृद्धि होगी।
	धान, गेहूँ, मोटे अनाज की उत्पादकता (कुं0 प्रति हैक्टेयर)	27.63 *	29.57 *	32.03 *	वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 10.80 प्रतिशत अनुमानित एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में 7.27 प्रतिशत अनुमानित है।
	लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (रूपये में)	1,01,321.00	1,25,978.00	1,33,627.00	गत वर्षों की तुलना में कृषकों की आय में वृद्धि। स्रोत– UNDP

* अनन्तिम

सुधारात्मक कार्य एवं नीतिगत पहल

1. राज्य स्थापना के समय प्रदेश का **कुल खाद्यान्न उत्पादन 16.47** लाख मै0टन था, जिसमें गत वर्षो में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020–21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 19.76 रहा तथा वर्ष 2024–25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 18.01 लाख मै0टन रहा। वर्ष 2025–26 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 18.01 लाख मै0टन रहा तथा वर्ष 2026–27 में कुल खाद्यान उत्पादन 17.85 रहने की संभावना है। खाद्यान्न उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2. **राज्य स्तरीय ''किसान दिवस'' का शुभारम्भ** गौचर, चमोली में दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को मा0 केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य स्तरीय **''किसान दिवस'' का आयोजन किया गया।** इस अवसर पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 88 हजार किसानों के खाते में रू0 65.12 करोड़ की मुआवजा राशि हस्तान्तरित की गई तथा कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

3. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** योजनान्तर्गत 21वीं किश्त के रूप में उत्तराखण्ड के 8,09,710 किसानों को रू0 162.02 करोड़ की धनराशि DBT (डी.बी.टी.) के माध्यम से हस्तान्तरित की गई। अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी आय में बढ़ोत्तरी करने के उददेश्य से आरम्भ की गई पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को सशक्त व स्वावलम्बी बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

4. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से देहरादून में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फसल अवशेष प्रबन्धन तथा नमो ड्रोन दीदी योजनान्तर्गत राज्यों द्वारा किये जा रहे कार्य एवं प्रस्तावित कार्ययोजना की बैठक की गई।

5. **स्टेट मिलेट पॉलिसी–** वर्ष 2023–24 को अन्तराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाये जाने के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023–24 से वर्ष 2027–28 तक रू0 73.16 करोड संचालन किये जाने की मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। मिलेट मिशन अन्तर्गत मंडुवा एवं सांवा फसल के बीज वितरण, उत्पादन से लेकर विधायन एवं विपणन के कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

6. प्रदेश में प्रथम बार भारत सरकार के सहयोग से खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 01 किलोग्राम मण्डुवा प्रति राशन कार्ड के अनुसार चार जनपदों– ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में वितरण सुनिश्चित किया जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं मण्डुवा क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि भी प्राप्त होगी। इस हेतु वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों द्वारा उत्पादित मण्डुवा का 5386 मै0टन न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 4886.00 प्रति कुं0) पर श्री अन्न (मिलेट्स) की खरीद/अन्तग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषक समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु रु 300.00 प्रति कु0 प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

7. केन्द्रपोषित योजना **''नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग''** अन्तर्गत प्रदेश में 11 जनपदों (पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर) के 10,000 हे0 क्षेत्रफल में क्रियान्वयन किया जायेगा।

8. **परम्परागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजनान्तर्गत** संचालित जैविक क्लस्टरों में उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन हेतु माह– जनवरी, 2026 तक 337 जैविक आउटलेट स्थापित किये गये है। जैविक कृषि के क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुयी है जो कि जनवरी, 2026 तक 2.30 लाख हैक्टेयर हो गया है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत है। विभिन्न योजना अन्तर्गत 4485 जैविक क्लस्टर संचालित किये जा रहे है।

9. प्रदेश में लघु, सीमान्त, महिला कृषकों एवं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुँच बढ़ाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में कुल 3604 फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये गये हैं। इससे खेती में काम आने वाले पशुओं की कमी एवं मजदूरों की समस्या का समाधान हुआ है। यह कार्यक्रम आगामी वर्ष के लिये भी प्रस्तावित है।

10. **प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि** के तहत कृषकों को कृषि कार्य हेतु कृषि निवेश क्रय किये जाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत वर्तमान में सक्रिय कृषकों की संख्या 9.11 लाख है तथा अब तक कृषकों के खातों में रू० 3457.73 करोड़ हस्तानान्तरित किए जा चुके हैं। पी0एम0– किसान लाभार्थियों को सुगमता एवं कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2025 तक 5.81 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

11. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) घटक** के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत व सामान्य कृषकों को 45 प्रतिशत केन्द्रांश के अतिरिक्तं टॉप अप के रूप में 25 प्रतिशत राजसहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

12. **स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम** योजनान्तर्गत सत्यापित बीज **(Truthful Level Seed)** वितरण हेतु पॉच वर्ष के लिये रु0 2059.27 की कार्ययोजना पर मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अन्तर्गत स्थानीय फसल यथा– राजमा, गहत, तोर, रामदाना, लाल धान, स्थानीय मक्का, भटट, कौणी, उगल/फाफर सम्मिलित है। कृषक समूह/कृषकों को राज्य पोषित–स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनान्तर्गत सत्यापित बीज वितरण 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्यालयी मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Soil Health Program)**. वर्ष 2023–24 से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत–सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा राज्यों के सहयोग से विद्यालयी मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम का उददेश्य छात्रों को मृदा स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे मृदा परीक्षण एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के संदेश को किसानों सहित अन्य हितधारकों तक पहुँचाने हेतु ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सकें। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 18 विद्यालयों का चयनित हैं, वर्ष 2025–26 से नये 220 विद्यालयों में कार्यक्रम का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

14. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2024–25 तक कुल 11,81,871 कृषकों को बीमित किया गया है, तथा जिसमें वर्ष 2024–25 के मौसम खरीफ में तक बीमा कम्पनी द्वारा 9433 कृषकों को रू0 77.58 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 83097 कृषकों का बीमा किया गया। तथा मौसम रबी– 2025 के क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही गतिमान है। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचाने हेतु बीमा संसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर कर दिया गया है।

15. भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 3 वर्षों में 300 **कृषक उत्पादक समूह** गठन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2024–25 में NABARD द्वारा– 30, SFAC द्वारा– 43, NAFED द्वारा– 32, NCDC द्वारा– 35, NDDB द्वारा– 4, TRIFED द्वारा– 2, FDRVC द्वारा– 15, कुल– 161 एफ0पी0ओ0 का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में 137 एफ0पी0ओ0 का गठन आगामी वर्षों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विस प्रा0लि0 (NABCONS) द्वारा राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड कृषक उत्पादक संगठन (FPO's) की पॉलिसी तैयार की जा रही है।

16. वर्ष 2023–24 में कृषि ड्रोन (नमो दीदी ड्रोन कार्यक्रम) प्रारम्भ किया गया है। जिसके तहत 18 कृषि ड्रोन का वितरण एफ0पी0ओ0/समूह को किया गया है। जो वर्ष 2024–25 में 80 कृषि ड्रोन वितरण का लक्ष्य है। ड्रोन के उपयोग से कवरेज क्षमता में वृद्धि होती है, कीटनाशी की प्रभावशीलता अधिक होती है, छिड़काव का काम आसान एवं तेज होता है एवं समय की बचत होती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है जहां तक सम्भव हो कीटनाशक एवं उर्वरकों के छिड़काव हेतु ड्रोन का उपयोग करें।

विभिन्न कार्यो/कार्यक्रमों/योजनाओं आदि की संतप्तीकरण योजना–

क्र स	प्रमुख पहल/योजना	वर्तमान स्थिति	समयावधि			अद्यतन कार्यवाही
			2026–28	2028–30	2030–32	
1	पर्वतीय क्षेत्रो के परम्परागत/स्थानीय फसलों का बीजों को प्रोत्साहन					
	परम्परागत फसलों का सत्यापित बीज वितरण पर अनुदान	शून्य	2398 कु0	2398 कु0	3000 कु0	शासनादेश संख्या–182/XIII-2/2024-04(12)/2023 दिनांक–27 फरवरी 2024 के द्वारा रु0 2059.27 लाख की पॉच वर्ष हेतु स्थानीय फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत राजमा, गहत, तोर, मक्का, रामदाना, लाल धान, भटट, कौणी, उगल स्थानीय फसलों पर कार्य किया जा रहा है।
2	गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश हेतु मृदा/उर्वरक / बीज/कीटनाशी प्रयोगशालाओं का NABL मान्यता	शून्य	15	3	–	जनपद स्तरीय समस्त 13 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का NABL मान्यता प्राप्त हो गया है।
3	पर्वतीय क्षेत्रों मे सिचांई क्षेत्रफल मे वृद्धि– सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से	30000 है0	36200 है0	50000 है0	72280 है0	56057 हैक्टेयर क्षेत्रफल सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है।
4	ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर संकर मक्का फसल को प्रोत्साहित करना	150 है0	1000 है0	16500 है0	–	1000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में मक्का फसल के अन्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है। सम्पूर्ण क्षेत्र को आच्छादित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रस्ताव रखा है।
5	फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापना करना।	2449 ग्राम पंचायत संतृप्त	3800 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	5000 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	6787 ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण	आतिथि तक 3471 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जा चुके है।
6	भौगेलिक पहचान (GI) टैग प्रदान करना	12 कृषि उत्पाद	10 संख्या	10 संख्या	–	प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिकी फसलों के 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान कर दिया गया है।

7	मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करना					स्टेट मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत वर्तमान में 5386 मै0टन मण्डुवा का अन्तःग्रहण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (4886.00 प्रति कुं0) किया गया है। इसके अतिरिक्त समूह को मण्डुवा एकत्रीकरण करने हेतु रु0 300.00 प्रति कु0 प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
	(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा एवं सॉवा फसल का क्रय कर	2000 मै0टन	5000 मै0टन	10000 मै0 टन	–	
	(ख) उत्पादकता में वृद्वि कर	15.83 कु0/ है0	18.00 कु0/ है0	25.00 कु0/ है0	28.00 कु0/ है0	
8	कृषक उत्पादक संगठन का गठन (एफ0पी0ओ0)					विभिन्न कार्यदायी संस्थाओ ने भारत सरकार के कार्यक्रम कृषक उत्पादक संगठन के गठन के तहत 161 कृषक उत्पादक संगठन का गठन कर दिया गया है। राज्य स्टेट पॉलिसी का ड्राफट NABCONS के द्वारा तैयार किया जा रहा है।
	(क) भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत	161	161 संख्या	–	–	
	(ख) राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत	शून्य	राज्य पॉलिसी	50 संख्या		
9	प्राकृतिक खेती का संचालन	शून्य	0.30 लाख कृषक	1.00 लाख कृषक	–	वर्ष 2024–25 से मुख्यमन्त्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत 1950 हैक्टेयर (39 क्लस्टर) में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना का संचालन किया जा रहा है। मा० प्रधानमन्त्री जी की महत्वकांक्षी योजना "राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन" के अर्न्तगत प्रदेष में उगाई जाने वाली परम्परागत फसलों को प्राकृतिक कृषि प्रणाली से उगाकर इनका महत्व, गुणवत्ता एवं व्यापारिक सम्भावनायें और अधिक बढ़ाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 से 10,000 है0 क्षेत्रफल को आच्छादित किया जा रहा है।
10	जैविक खेती	2.30 लाख है0	2.50 लाख है0	3.20 लाख है0	–	विभिन्न जैविक कृषि कार्यक्रम के तहत 2.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल जैविक खेती के अन्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

1–केन्द्रपोषित योजनाऐं– धनराशि लाख रू0 में

कं0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित बजट वर्ष 2026–27			प्राप्त वार्षिक बजट वर्ष 2026–27		
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/**डी0पी0आर0 बेस्ट एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-01	70	11049.00	0.00	**11049.00**	7500.00	0.00	**7500.00**
				71	0.00	1228.00	**1228.00**	0.00	800.00	**800.00**
		30	2401-00-001-01-01	70	2691.00	0.00	**2691.00**	4266.00	0.00	**4266.00**
				71	0.00	299.00	**299.00**	0.00	474.00	**474.00**
		31	2401-00-001-01-08	70	425.00	0.00	**425.00**	647.00	0.00	**647.00**
				71	0.00	47.00	**47.00**	0.00	102.00	**102.00**
		Total			**14165.00**	**1574.00**	15739.00	**12413.00**	**1376.00**	13789.00
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/**नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्युट्रीशियन मिशन** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-03	70	1123.20	0.00	**1123.20**	999.85	0.00	**999.85**
				71	0.00	124.80	**124.80**	0.00	111.10	**111.10**
		30	2401-00-001-01-02	70	273.60	0.00	**273.60**	380.01	0.00	**380.01**
				71	0.00	30.40	**30.40**	0.00	42.01	**42.01**
		31	2401-00-001-01-01	70	43.20	0.00	**43.20**	54.01	0.00	**54.01**
				71	0.00	4.80	**4.80**	0.00	6.01	**6.01**
		Total			**1440.00**	**160.00**	1600.00	**1433.87**	**159.12**	1592.99
3	रेनफेड एरिया डेवलपमैंट/**क्लाइमेट रेजिलिएंट इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम(इरस्टवाइल आर0ए0डी0)** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-04	70	778.52	0.00	**778.52**	700.01	0.00	**700.01**
				71	0.00	86.50	**86.50**	0.00	78.01	**78.01**
		30	2401-00-001-01-03	70	189.64	0.00	**189.64**	215.01	0.00	**215.01**
				71	0.00	21.07	**21.07**	0.00	24.01	**24.01**
		31	2401-00-001-01-02	70	29.94	0.00	**29.94**	34.01	0.00	**34.01**
				71	0.00	3.33	**3.33**	0.00	4.01	**4.01**
		Total			**998.10**	**110.90**	1109.00	**949.03**	**106.03**	1055.06
4	पर ड्राप मोर काप (प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना)/**पर ड्राप मोर क्रॉप(इन्कलूडिंग माइक्रो इरिगेशन फण्ड)** (90 प्र0के0 पो0)	17	2401-00-001-01-05	70	3598.45	0.00	**3598.45**	3582.36	0.00	**3582.36**
				71	0.00	399.83	**399.83**	0.00	398.01	**398.01**
				72	0.00	890.09	**890.09**	0.00	890.09	**890.09**
		30	2401-00-001-01-05	70	876.55	0.00	**876.55**	799.36	0.00	**799.36**
				71	0.00	97.39	**97.39**	0.00	88.83	**88.83**
				72	0.00	216.82	**216.82**	0.00	216.82	**216.82**
		31	2401-00-001-01-04	70	138.40	0.00	**138.40**	158.01	0.00	**158.01**
				71	0.00	15.38	**15.38**	0.00	18.01	**18.01**
				72	0.00	34.23	**34.23**	0.00	34.23	**34.23**
		Total			**4613.40**	**1653.74**	6267.14	**4539.73**	**1645.99**	6185.72
5	स्वाईल हैल्थ एण्ड मैनेजमेंट/**स्वाईल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटि** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-07	70	438.75	0.00	**438.75**	594.00	0.00	**594.00**
				71	0.00	48.75	**48.75**	0.00	66.00	**66.00**
		30	2401-00-001-01-07	70	106.87	0.00	**106.87**	144.70	0.00	**144.70**
				71	0.00	11.87	**11.87**	0.00	16.08	**16.08**
		31	2401-00-001-01-06	70	16.87	0.00	**16.87**	22.88	0.00	**22.88**
				71	0.00	1.89	**1.89**	0.00	2.55	**2.55**
		Total			**562.49**	**62.51**	625.00	**761.58**	**84.63**	846.21
6	परम्परागत कृषि विकास योजना (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-08	70	3777.46	0.00	**3777.46**	3777.46	0.00	**3777.46**
				71	0.00	419.72	**419.72**	0.00	419.72	**419.72**
		30	2401-00-001-01-08	70	920.15	0.00	**920.15**	920.15	0.00	**920.15**
				71	0.00	102.24	**102.24**	0.00	102.24	**102.24**
		31	2401-00-001-01-07	70	145.28	0.00	**145.28**	145.28	0.00	**145.28**
				71	0.00	16.15	**16.15**	0.00	16.15	**16.15**
		Total			**4842.89**	**538.11**	5381.00	**4842.89**	**538.11**	5381.00

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

1–केन्द्रपोषित योजनाऐं– धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित बजट वर्ष 2026–27			प्राप्त वार्षिक बजट वर्ष 2026–27		
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
7	नेशनल बैम्बू मिशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-10	70	561.60	0.00	**561.60**	437.02	0.00	**437.02**
				71	0.00	62.40	**62.40**	0.00	48.56	**48.56**
		30	2401-00-001-01-09	70	136.80	0.00	**136.80**	105.10	0.00	**105.10**
				71	0.00	15.20	**15.20**	0.00	11.68	**11.68**
		31	2401-00-001-01-09	70	21.60	0.00	**21.60**	11.06	0.00	**11.06**
				71	0.00	2.40	**2.40**	0.00	1.24	**1.24**
		Total			**720.00**	**80.00**	**800.00**	**553.18**	**61.48**	**614.66**
8	नैशनल मिशन फार नैचुरल फार्मिगं (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-11	70	612.85	0.00	**612.85**	1243.50	0.00	**1243.50**
				71	0.00	68.09	**68.09**	0.00	138.16	**138.16**
		30	2401-00-001-01-10	70	149.28	0.00	**149.28**	302.89	0.00	**302.89**
				71	0.00	16.59	**16.59**	0.00	33.66	**33.66**
		31	2401-00-001-01-10	70	23.57	0.00	**23.57**	47.83	0.00	**47.83**
				71	0.00	2.62	**2.62**	0.00	5.32	**5.32**
		Total			**785.70**	**87.30**	**873.00**	**1594.22**	**177.14**	**1771.36**
9	नमामि गंगे क्लीन अभियान–आर0के0 वी0वाई0 (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-12	70	2700.00	0.00	**2700.00**	2700.00	0.00	**2700.00**
				71	0.00	300.00	**300.00**	0.00	300.00	**300.00**
		30	2401-00-001-01-11	70	0.01	0.00	**0.01**	0.01	0.00	**0.01**
				71	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**
		31	2401-00-001-01-11	70	0.01	0.00	**0.01**	0.01	0.00	**0.01**
				71	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**
		Total			**2700.02**	**300.02**	**3000.04**	**2700.02**	**300.02**	**3000.04**
10	कृषि वानिकी–आर0के0वी0 वाई0 (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-001-01-13	70	85.80	0.00	**85.80**	85.80	0.00	**85.80**
				71	0.00	9.55	**9.55**	0.00	9.55	**9.55**
		30	2401-00-001-01-13	70	20.10	0.00	**20.10**	20.10	0.00	**20.10**
				71	0.00	2.33	**2.33**	0.00	2.33	**2.33**
		31	2401-00-001-01-13	70	3.31	0.00	**3.31**	3.31	0.00	**3.31**
				71	0.00	0.37	**0.37**	0.00	0.37	**0.37**
		Total			**109.21**	**12.25**	**121.46**	**109.21**	**12.25**	**121.46**
11	मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेव्लपमेंट हॉर्टिकल्चर	170	2401-00-001-01-16	70	4387.50	0.00	**4387.50**	5688.00	0.00	**5688.00**
				71	0.00	487.50	**487.50**	0.00	632.00	**632.00**
		30	2401-00-001-01-15	70	1068.75	0.00	**1068.75**	1296.00	0.00	**1296.00**
				71	0.00	118.75	**118.75**	0.00	144.00	**144.00**
		31	2401-00-001-01-15	70	168.75	0.00	**168.75**	216.00	0.00	**216.00**
				71	0.00	18.75	**18.75**	0.00	24.00	**24.00**
		Total			**5625.00**	**625.00**	**6250.00**	**7200.00**	**800.00**	**8000.00**
12	सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन/**नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-02	70	4843.80	0.00	**4843.80**	5404.70	0.00	**5404.70**
				71	0.00	538.20	**538.20**	0.00	600.52	**600.52**
		30	2401-00-109-01-01	70	1179.90	0.00	**1179.90**	1316.53	0.00	**1316.53**
				71	0.00	131.10	**131.10**	0.00	146.28	**146.28**
		31	2401-00-109-01-01	70	186.30	0.00	**186.30**	207.87	0.00	**207.87**
				71	0.00	20.70	**20.70**	0.00	23.10	**23.10**
		Total			**6210.00**	**690.00**	**6900.00**	**6929.10**	**769.90**	**7699.00**
13	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-03	70	500.01	0.00	**500.01**	500.01	0.00	**500.01**
				71	0.00	56.01	**56.01**	0.00	56.01	**56.01**
		30	2401-00-109-01-02	70	190.01	0.00	**190.01**	190.01	0.00	**190.01**
				71	0.00	21.01	**21.01**	0.00	21.01	**21.01**
		31	2401-00-109-01-02	70	30.01	0.00	**30.01**	30.01	0.00	**30.01**
				71	0.00	3.34	**3.34**	0.00	3.34	**3.34**
		Total			**720.03**	**80.36**	**800.39**	**720.03**	**80.36**	**800.39**

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

1–केन्द्रपोषित योजनाऐं– धनराशि लाख रू0 में

कं0 सं0	योजना का नाम	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित बजट वर्ष 2026–27			प्राप्त वार्षिक बजट वर्ष 2026–27		
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
14	नैशनल ई0 गवर्ननैंस प्लान एग्रीकल्चर/**डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-04	**70**	1021.41	0.00	**1021.41**	1062.14	0.00	**1062.14**
				71	0.00	113.49	**113.49**	0.00	118.02	**118.02**
		30	2401-00-109-01-03	**70**	248.81	0.00	**248.81**	258.72	0.00	**258.72**
				71	0.00	27.64	**27.64**	0.00	28.75	**28.75**
		31	2401-00-109-01-03	**70**	39.28	0.00	**39.28**	40.85	0.00	**40.85**
				71	0.00	4.37	**4.37**	0.00	4.54	**4.54**
		Total			**1309.50**	**145.50**	**1455.00**	**1361.71**	**151.31**	**1513.02**
15	सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेशन (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-05	**70**	1462.97	0.00	**1462.97**	1438.92	0.00	**1438.92**
				71	0.00	162.55	**162.55**	0.00	159.80	**159.80**
		30	2401-00-109-01-04	**70**	356.36	0.00	**356.36**	468.83	0.00	**468.83**
				71	0.00	39.60	**39.60**	0.00	52.59	**52.59**
		31	2401-00-109-01-04	**70**	56.27	0.00	**56.27**	75.58	0.00	**75.58**
				71	0.00	6.25	**6.25**	0.00	8.40	**8.40**
		Total			**1875.60**	**208.40**	**2084.00**	**1983.33**	**220.79**	**2204.12**
16	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-06	**70**	300.00	0.00	**300.00**	300.00	0.00	**300.00**
		30	2401-00-109-01-05	**70**	0.01	0.00	**0.01**	0.01	0.00	**0.01**
		31	2401-00-109-01-05	**70**	0.01	0.00	**0.01**	0.01	0.00	**0.01**
		Total			**300.02**	**0.00**	**300.02**	**300.02**	**0.00**	**300.02**
17	मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्लेस (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-07	**70**	390.00	0.00	**390.00**	390.00	0.00	**390.00**
				71	0.00	43.34	**43.34**	0.00	43.35	**43.35**
		30	2401-00-789-01-03	**70**	95.00	0.00	**95.00**	95.00	0.00	**95.00**
				71	0.00	10.56	**10.56**	0.00	10.56	**10.56**
		31	2401-00-796-01-06	**70**	15.00	0.00	**15.00**	15.00	0.00	**15.00**
				71	0.00	1.67	**1.67**	0.00	1.67	**1.67**
		Total			**500.00**	**55.57**	**555.57**	**500.00**	**55.58**	**555.58**
	मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्लेस (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-109-01-08	**70**	10.00	0.00	**10.00**	10.00	0.00	**10.00**
		Total			**10.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
18	प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजना (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-01	**42**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
			2401-00-110-03-00	68	0.00	200.00	**200.00**	0.00	100.00	**100.00**
		Total			**0.00**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**
19	प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपज अनुमान प्रणाली (90प्र0के0पो0)	17	2401-00-110-01-02	**42**	0.01	0.00	**0.01**	0.01	0.00	**0.01**
			2401-00-110-95-02	68	0.00	10.00	**10.00**	0.00	0.01	**0.01**
		Total			**0.01**	**10.00**	**10.01**	**0.01**	**0.01**	**0.02**
20	इन्टीग्रेटीड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	17	2401-00-111-01-05	70	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
			2401-00-111-01-06	**70**	75.36	0.00	**75.36**	70.49	0.00	**70.49**
			2401-00-111-01-07	70	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
		Total			**75.36**	**0.00**	**75.36**	**70.49**	**0.00**	**70.49**
21	राष्ट्रीय आयल सीड एण्ड आयल पाम मिशन/**राष्ट्रीय मिशन आन एडिबल ऑयल सीड** (90 प्र0के0पो0)	17	2401-00-114-01-03	**70**	348.34	0.00	**348.34**	251.87	0.00	**251.87**
				71	0.00	38.70	**38.70**	0.00	27.99	**27.99**
		30	2401-00-114-01-01	**70**	84.85	0.00	**84.85**	60.32	0.00	**60.32**
				71	0.00	9.43	**9.43**	0.00	6.71	**6.71**
		31	2401-00-114-01-01	**70**	13.39	0.00	**13.39**	9.34	0.00	**9.34**
				71	0.00	1.49	**1.49**	0.00	1.04	**1.04**
		Total			**446.58**	**49.62**	**496.20**	**321.53**	**35.74**	**357.27**
22	नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयलसीड (100 प्र0के0पो0)	17	2401-00-114-01-04	**70**	9.00	0.00	**9.00**	9.00	0.00	**9.00**
		Total			**9.00**	**0.00**	**9.00**	**9.00**	**0.00**	**9.00**
योग (केन्द्रपोषित योजनाऐं)		**17**			**38074.03**	**5287.52**	**43361.55**	**36745.14**	**4996.90**	**41742.04**
		30			**8587.69**	**1171.01**	**9758.70**	**10838.75**	**1421.57**	**12260.32**
		31			**1356.19**	**184.75**	**1540.94**	**1718.06**	**255.99**	**1974.05**
		Total			**48017.91**	**6643.28**	**54661.19**	**49301.95**	**6674.46**	**55976.41**

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

2–राज्य सैक्टर की योजनाऐं–कृषि विभाग				(धनराशि लाख रू0 में)	
क्रं0 सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट की धनराशि	प्राप्त वर्षिक बजट वर्ष 2026–27
2–राज्य सेक्टर की योजनाऐ				–	
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	17	2401-00-001-04-00	18415.86	16194.35
2	कृषि निवेश, भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-001-05-00	855.00	777.50
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	17	2401-00-001-07-00	86.50	71.55
4	जलपंप, स्प्रिंकलरसेट पालीहाउस विवधीकरण येाजना	17	2401-00-001-08-00	2000.00	1150.00
5	राज्य किसान आयेाग का गठन	17	2401-00-001-12-00	61.20	55.50
6	एकीकृत कृषि ग्राम येाजना	17	2401-00-001-15-00	0.01	0.00
7	कृषकों की आय दोगुना करना	17	2401-00-001-16-00	0.01	0.01
8	मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना	17	2401-00-001-18-00	10000.00	2000.00
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	17	2401-00-001-19-00	9.25	9.25
10	कृषि उत्पाद समूह	17	2401-00-001-20-00	0.02	0.01
11	राज्य मिलेट्स मिशन	17	2401-00-001-22-00	2000.01	1200.01
12	कृषि चारा उत्पादान सर्वेक्षण(नई याजना)	17	2401-00-001-24-00	20.00	20.00
13	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	17	2401-00-102-03-00	575.00	575.00
14	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	17	2401-00-103-03-00	63.45	54.70
15	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	17	2401-00-105-04-00	250.00	100.00
16	सूचना सलाह केन्द्रो का सुदृढीकरण	17	2401-00-109-04-00	12.92	11.75
17	कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण	17	2401-00-111-02-00	50.00	0.01
18	खाद्यान्न/दलहन/ तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	17	**4401-00-103-03-00**	2500.00	2500.00
19	जंगली जानवरों/रिराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा हेतु फॉर्म फेंसिंग (घेरबाड)	17	**4401-00-104-02-00**	2500.00	1000.00
20	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्टस की लागत	17	**4401-00-107-03-00**	1500.00	1000.00
21	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	17	**4401-00-800-05-00**	100.00	100.00
22	नाबार्ड सहायतित–आर0 आई0डी0एफ0	17	**4401-00-800-98-01**	3000.00	2000.00

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्राप्त वार्षिक बजट का विवरण

2–राज्य सैक्टर की योजनाऐं–कृषि विभाग				(धनराशि लाख रू0 में)	
क्रं0 सं0	योजना का नाम	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट की धनराशि	प्राप्त वर्षिक बजट वर्ष 2026–27
23	कृषि एवं रेखीय विभागों/परिषदों/बोर्ड/एजेन्सी आदि हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास	17	**4401-00-190-00-02**	100.00	0.01
24	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास	**30**	2401-00-102-02-05	700.00	500.00
25	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास	**31**	2401-00-102-02-02	300.00	200.00
	योग (राज्यपोषित)	**17**		**44099.23**	**28819.65**
		30		**700.00**	**500.00**
		31		**300.00**	**200.00**
		Total		**45099.23**	**29519.65**
	कुल योग (केन्द्रपोषित +राज्यपोषित)	**17**		**87460.78**	**70561.69**
		30		**10458.70**	**12760.32**
		31		**1840.94**	**2174.05**
		Total		**99760.42**	**85496.06**
राजस्व				**90060.42**	**78896.06**
पूंजीगत				**9700.00**	**6600.01**
महायोग				**99760.42**	**85496.07**

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

कृषि भवन, नन्दा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून 248007, उत्तराखण्ड

फोन: 0135-2972421, 2972422, फैक्स: 2972425

ई-मेल: dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in

टॉल फ्री नं.: 1800 18000 11

सरस्वती प्रेस | 9358865676